2019 का विधेयक संख्यांक 185

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

3. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन ।
4. आयोग की संरचना ।
5. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।
6. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।
7. आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का पद से हटाया जाना ।
8. आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति ।
9. आयोग की बैठक, आदि ।
10. आयोग की शक्तियां और कृत्य ।

अध्याय 3

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद्

11. आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् का गठन और उसकी संरचना ।
12. आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के कृत्य ।
13. आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकें ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

14. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षण ।
15. राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा ।

अध्याय 5

स्वशासी बोर्ड

16. स्वशासी बोर्डों का गठन ।
17. स्वशासी बोर्डों की संरचना ।
18. प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति ।
19. प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।

खंड

20. विशेषज्ञों की सलाहकार समिति ।

21. स्वशासी बोर्डों के कर्मचारिवृंद ।

22. स्वशासी बोर्डों की बैठकें, आदि ।

23. स्वशासी बोर्ड की शक्तियां और शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

24. स्नातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

25. स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

26. चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

27. शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

28. नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुज्ञा ।

29. स्कीम के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मानदंड ।

30. राज्य चिकित्सा परिषद् ।

31. राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ।

32. सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता ।

33. व्यक्तियों के व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामावलीगत किए जाने के अधिकार और उससे संबंधित उनकी बाध्यताएं ।

34. व्यवसाय का वर्जन ।

अध्याय 6

आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता

35. भारत में के विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता ।

36. भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता ।

37. भारत में के कानूनी या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को मान्यता ।

38. भारत में आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदत्त आयुर्विज्ञान अर्हता को अनुदत्त मान्यता का वापस लिया जाना ।

39. भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं को अमान्य किया जाना।

40. कतिपय दशाओं में आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यताओं के लिए विशेष उपबंध ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

41. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

42. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि ।

43. संपरीक्षा और लेखा ।

खंड

44. विवरणियां और रिपोर्टों का केन्द्रीय सरकार को दिया जाना ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

45. आयोग और स्वशासी बोर्डों को निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

46. राज्य सरकारों को निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

47. आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन ।

48. विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं ।

49. आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना ।

50. आयोग, होम्योपैथी और भारतीय आयुर्विज्ञान की केंद्रीय परिषदों की, उनकी अपनी चिकित्सा पद्धतियों के मध्य अंतरपृष्ठ में वृद्धि के लिए संयुक्त बैठक ।

51. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का संवर्धन किया जाना ।

52. आयोग और स्वशासी बोर्डों के अध्यक्ष, □□स□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □

53. □द□□□□□□ □ी □□ □□□□□ □ा□□ □□क्ष□ □

54. □□□□□ी □□ □ज्ञ□ □

55. केन्द्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति ।

56. ि□□□ □□□□□ी □□के□ □

57. विनियम बनाने की शक्ति ।

58. नियमों और विनियमों का संसद के समक्ष रखा जाना ।

59. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति □

60. निरसन और व्या□□ि□ □

61. □क्र□□□□□ी□ □□□□ □

□□□□□ □

2019 का विधेयक संख्यांक 185

[दि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, 2019 [illegible]]

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019

ऐसी आयुर्विज्ञान शिक्षा पद्धति का, जो देश के सभी भागों म क्वालिटी और वहन योग्य आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच का सुधार करती हो, जिससे पर्याप्त और उच्च क्वालिटी वाले चिकित्सा वृत्तिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, जो ऐसी साम्यपूण और सावभौमिक स्वास्थ्य देखरेख का संवधन करती हो जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा मिलता हो और सभी नागरिकों के लिए चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सुनम्य बनाती हो ; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों का संवधन करती हो ; जो चिकित्सा वृत्तिकों को उनके काय म नवीनतम आयुर्विज्ञान अनुसंधान अंगीकृत करने और अनुसंधान म योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती हो ; जिसका एक उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी निधारण करना तथा भारत के लिए एक चिकित्सक रजिस्टर रखे जाने को सुकर बनाना और चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं म उच्च नीतिपरक मानकों पर बल देना हो ; जो परिवतनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने म सुनम्य हो और जिसम एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र हो, तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

[illegible] सत्तरव वष म संसद द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित [illegible] :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्री[illegible], 2019 [illegible]

[illegible]

(2) □□□□ □ि□स्□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, □□ □न्द्री□ □□□□□, □□□□त्र म अधिसूचना द्वारा, □ि□□□ □□□; और इस अधिनियम के भिन्न-□ि□न्□ □□□□□ □□ □ि□□ □ि□न्□-भिन्न तारीख नियत की जा सकगी और ऐसे किसी उपबंध म इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निदश का □□ □□ □□□□□ □□□□□ □ि□ □□ इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निदश है ।

□ि□□□□□□□ **2.** (1) □□ □ि□ि□□□ □, □□ □□ संदभ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(□) "स्□□□□□ □□□" □□□□□□ 16 □□ □□□□ □ि□□ □□□ स्□□□□□ □□□ अभिप्रेत □□;

(□) "□ध्□क्ष" □□□□□□ 5 □□ □□□□ □ि□□क्□ □ाष्ट्रीय आयुविज्ञा□ □□□□ □□ □ध्□क्ष □ि□प्रे□ □□;

(□) "□□□□" □□□□□□ 3 □□ □□□□ गठित राष्ट्रीय आयुविज्ञा□ □□□□ □ि□प्रे□ □□;

(□) "परिषद" □□□□□□ 11 □□ □□□□ गठित आयुविज्ञान सलाहकार परिषद □ि□प्रे□ □□;

(□) "□ि□ष□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□" □□□□□□ 16 □□□□□□ □ि□□ □ि□ष□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□ □ि□प्रे□ □□;

(□) "स्□□स्थ्य □ि□श्□ि□द□□□□" □□ऐसा विश्वि□द□□□□ अभिप्रेत है, □□ □□□, आयुविज्ञान और स्वास्थ्य □ि□ज्□□ □□□□ □ध्□□□□ □ □□□ □स□□□ □□□ □□द□ □□□□ □ □ि□□□□□ □□ □□ □□□□ □तगत कोई आयुविज्ञान विश्वि□द□□□□ □□ स्□□स्थ्य विज्ञान विश्वि□द□□□□ □□ □□;

(□) "□□ज्ञा□प्□" □□□□□□ 32 □ी □□□□□□ (1) के अधीन चिकित्सा □□□□□□ □□ लिए दी गई कोई अनुज्ञप्ति □ि□प्रे□ □□;

(□) "□ि□ि□त्□□ निधारण और रेटिंग बोड" □□□□□□ 16 □□□□□□ गठित चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड □ि□प्रे□ □□;

(□) "आयुविज्ञान संस्था" □□भारत म या भारत के बाहर की ऐसी संस्था □ि□प्रे□ □□ जो आयुविज्ञान म डिग्रियां, □ि□प्□□म या अनुज्ञप्ति□□□□□□त्□ □□□□ □□□□ □□□□ अंतगत संबद्ध महाविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय भी ह ;

(□) "आयुविज्ञान" □□आधुनिक आयुविज्ञान की समस्त □□□□□□□ि□प्रे□ □ □□ □□□□ □□□□□ □□ल्□ विज्ञान और प्रसूति विज्ञान भी □, किंतु इसके अंतगत □□□ आयुविज्ञान और शल्यविज्ञान नहीं है ;

(□) "□□स्□" □□□□□□ 5 □□□□□□ □ि□□क्□ □□□□ □□ □□□ □□स्□ □ि□प्रे□ □□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □ध्□क्ष □□ □□;

(□) "राष्ट्री□ □□क्षा □□□" □□सोसाइटी रजिस्ट्री□□□ □ि□ि□□□, 1860 □□□□□□ उस रूप म रजिस्ट्री□□ □□□ □□□ □ि□□□ □ि□प्रे□ □□□□ □□□□□ □ निदिष्ट □□त्□ □ि□ि□ष□ और अति विशिष्ट अहताएं अनुदत्त □□□□ □□; 1860 □□ 21

(□) “राष्ट्री□ □□□स्□□” □□ □□□□ 31 □□ □□□□ □ि□□चार और चिकित्स□ □□□स्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा रखा जाने वाला राष्ट्रीय चिकित्स□ □□□स्□□ □ि□प्रे□ □□;

(□) “□ि□□□□□” □□ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत □□ □□ “□ि□□ि□□” □□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ ;

(□) “स्□□□□त्□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड” □□ □□□□ 16 □□ □□□□ □ि□□ स्□□□□त्□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड □ि□प्रे□ □□;

(□) “विहित” □□□□ □ि□ि□□□ □□ □□□□ □□□□ गए नियमों द्वारा विहित □ि□प्रे□ □□;

(□) “प्र□□□” □□□□□□ 18 □□ □□□□ ि□□क□ स्□□□□□ □□□ □□ प्र□□□ □ि□प्रे□ □□;

(□) “□न्□□□प्राप्□ □□ि□ज्ञा□ □□□□” □□ □□□□से□ि, □□□□ 35 □□ □□□□ 36 □□□□ 37 □□ □□□□ 40 □□□□□□ □□□ □न्□ताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता □ि□प्रे□ □□;

(□) “ि□ि□□□” □□□□ अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए □□ ि□ि□□□ अभिप्रेत है ;

(□) “□□□□□” से इस अधिनियम की अनुसूची □ि□प्रे□ □□;

(□) “□□ज□ आयुर्विज्ञान परिषद्” □□□□□ □□□ □□ि□ज्ञा□ □रिषद् अभिप्रेत है, □□ ि□□□ □□ज□ □□ □□ □□ज□क्षेत्र में के चिकित्सा व्□□□□ि□□ि □□ व्□□□□□ □□ रजिस्ट्री□□□ □□ ि□ि□□□□ □□□□□□□ि □□ □□ज□ □□ □□ □□ज□क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित की गई है ;

(□) “□□ज□ □□□स्□□” □□□□□ □□□स्□□ अभिप्रेत है, □□ ि□ि□त्□ व्□□□□ि□□ि □□ रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी राज्य □□ □□ □□ज□क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के □□□□ □□□ □□□□ □□;

(□) “स्□□तकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड” □□ □□□□ 16 □□ □□□□ □ि□□ स्□□तकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;

1956 □□ 3 (□) “विश्वि□द्□□□□” □□ □□ि □□ □□□□, □□ ि□श्□ि□द्□□□□ □□□□□ □□□□ अधिनियम, 1956 □ि □□□□ 2 □□ □□ (□) □ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ स्□□स्थ्य विश्वि□द्□□□□ □□ □□□

अध्याय 2

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

3. (1) □द्री□ □□□□□, □□ □ि□ि□□□ □□□□□□, राष्ट्री□ □□ि□ज्ञा□ □□□□ □□□ □□ ज्ञा□ □□ □□□□ □□, उसे प्रदत्त □क्ि□यों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का निवहन करने □□ि□□, □□□ □□□□ □ राष्ट्री□ आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □□□ □

(2) □□□□ □□श□□ उत्तराधिकार □□ □□□□न्□ □द्रा □□□□ □□ि□□ □□□ □□ □□ ि□□ि□□ ि□□□□ □□□□, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, □□□ □□ स्□□□□, दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की

□□क्□ □□□ □□□ □क□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□□ □

(3) □□□□ □□ □ख□□□□ □□ दिल्ली □ □□□□ □

□□□□ □ी □□□□□ □

4. (1) □□□□ □ नि□म्□लिखित व्यक्□ ह□ि□,जो कद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कि□ □□□□,□□□□□ □--

(□) □ध्□क्ष ;

(□) □□ □□□ □□स्□ ; □□

(□) □□□□ □□□□नि□□ □□स्□ □

(2) □ध्□क्ष, □□□□□□□ □□□□□, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनि□ष्□ □□□□ □□□ व्□क्□ □□□, जिसके पास किसी विश्वविदयालय से आयुर्विज्ञान की किसी विदया शाखा □ स्□□□□त्□र डिग्री हो और □सके पास आयुर्विज्ञान के क्षेत्र म कम से कम □□□ □□ □□ □□□□ □□, जिसम से कम से कम दस वष तक वह आयुर्विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र म अग्र□□ □□ रू□ □ □□□ □□ □

(3) निम्नलिखित व्यक्□ □□□□ □□□□□ □□स्□ ह□ि□,□□□□□ □--

(□) स्□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड □□ प्र□□□ ;

(□) स्□□□□त्□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड □□ प्र□□□ ;

(□) नि□ि□त्□ निधारण और रेटिंग बोड का प्र□□□ ;

(□) नि□ष्□चार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड का प्रधान ;

(□) □□नि□□□□, स्□स्थ्य □□□□,□□नि□□□□□□, स्□स्थ्य □□□□,नई दिल्ली ;

(□) □□नि□□□□, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ;

(□) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किए जाने वा□□, □नि□□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान संस्था□ी म से किसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक;

(□) स्□□□□त्□र आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था□, □□□□□ ; □□□□□ □□□ स्□□□□त्□र आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था□, □□□□ी ; □□□□ □□नि□□□□ □स्□□□□, □□□ ; □□त्□र इंदिरा गांधी प्रादेशिक स्वास्थ्य □□ □ि□ज्ञ□ □स्□□□, नि□□□□; □□ अखिल भारतीय स्वच्□□□ □□ □□□ स्□स्थ्य □स्□□□, □□□□□□□ □□ निदेशकी म से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किए जाने वाले दो व्यक्ति ;

(□) कद्रीय □□□□□ □□स्□स्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु उस मंत्रालय द्वारा नामनिदिष्ट □□□ व्□क्□, जो अपर सचिव की पंक्ति □□ □□□□□□ □ □□ □

(4) निम्नलिखित व्यक्□ □□□□ □□□□□नि□□ □□स्□ के रूप म नियुक्त कि□ □□□□,□□□□□ □--

(□) □□□□□, □त्□नि□ष्□ □□ प्रनि□ष्□ □□□व्□क्□यी म से नियुक्त कि□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□स्□, □□न्□ प्र□□□, विधि, नि□ि□त्□ □□□□ नि□ष्□□□□, स्□स्थ्य □□□□□□, □□□□क्□ या रोगी अधिकार समथन, विज्ञान और प्रौदयोगिकी तथा

□□□□स्त्र सहित ऐसे क्षेत्रों म विशेष ज्ञान और वृत्ति□ □□□□ □□ ;

(□) □□□ □ि□ □, □□ वि□□□ □ी □□□, दो वष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान □□□□□□□ □ि□□द □ □□□□ 11 □ी □□□□□□ (2) □□□□ (□) □□ □□ (□) □□□□□□ □□ज□ी □□ □□ □□ज□क्षेत्रों के नामनिर्दशितयों म से नियुक्त ि□□ □□□□□□□□□□ □□स्□ ;

(□) □□□ □ि□ □, □□ वि□□□ □ी □□□, दो वष की अवधि के लिए आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद म धारा 11 □ी □□□□□□ (2) □□□□ (□) □□□□□□ □□ज□ी □□ □□ □□ज□क्षेत्रों के नामनिर्दशितयों म से नियुक्त ि□□ □□□□□□□□□□ □□स्□ □

स्पष्टीकरण—□□ □□□□ □□ □□□□ 17 □□ प्र□□□□ी □□ वि□□, "□ग्र□" □□ □□□□□ विभागाध्यक्ष या किसी संगठन का प्रमुख अभिप्रेत □□

5. (1) □द्री□ □□□□□, □□□□ 4 □ी □□□□□□ (4) के खंड (क) म निर्दिष्ट □ध्□क्ष, □□□□ि□□ □□स्□ी □□ □□□□ 8 म निर्दिष्ट सचिव की नियुक्ति नि□म्□ि□ि□□ □□ि□□□□ बनी खोजबीन समिति की सिफारिश के आधार पर करेगी,-- □ध्□क्ष □□ □□स्□ी □ी नि□क्ति□ □□ ि□□ □□□□□□ □ि□ि□ □

(क) मंत्रिमंडल सचिव – □ध्□क्ष ;

(□) कद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट □□□ □□□ि□□□ज्ञ, □□□□□□□□ □त्□ष्□ अहताएं और आयुर्विज्ञान शिक्षा, लोक स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र म कम से कम पच्ची□ □□ □□ □□□□ □□ – □□स्□ ;

(□) □□□□ 4 □ी □□□□□□ (4) के खंड (ग) म निर्दिष्ट □□□□ि□□ □□स्□ी □ □□ कद्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति म, □□ वि□□□ □ी □□□, नामनिर्दिष्ट □□ वि□□□ज्ञ – □□स्□ ;

(□) कद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट □□ □□□ व्□क्ति, □□□□□□□□ □त्□ष्□ अहताएं और प्रबंधन या विधि या अथशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र म □□ □□□□ □च्□□□ □□ □□ □□□□ □□ – □□स्□ ;

(□) □□□□ □□□□□ □□ स्□□स्थ्य □□ □ि□□□□ □ल्□□□ □त्रा□□ □□ □□□□□□□ □ि□□ - □□□□□ □□स्□ □□□□ □

(2) □द्री□ □□□□□, □□□ नि□क्ति, जिसके अंतगत अध्यक्ष या किसी सदस्य □ी □त्□□ □□ □□□□,□□ त्□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □,□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □ध्□क्ष □□ □□स्□ की पदावधि की □□□ाप्□ से पूव तीन मास के भीतर रिक्ति □□□□□□□□□□ के लिए खोजबीन समिति को निदश करेगी ।

(3) खोजबीन समिति, □□□ि□ि□ष्□ प्रत्□□ नि□क्ति के लिए कम से कम तीन नामों के □□ □□□ □ी वि□□ि□□ □□□□ □

(4) □□□□□□ □ि□ि□, □ □□□ □□□ध्□क्ष □□ □□स्□ के रूप म नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने के पूव, अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति □□ □□□ □□□ वि□त्□□ □□ □न्□ ि□□ □□ि□□,□□□□□□□ध्□क्ष □□ □□स्□ के रूप म उसके कृत्यों □□ प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(5) □ध्□क्ष □□ □□स्□ □ी □□□ नि□क्ति, खोजबीन समिति के किसी सदस्य की किसी

रिक्ति □□ □□□स्थ□ति के कारण अविधिमान्य □□ी□□□ □

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

□ध्□क्ष □□ □□स्□ों □ी □□□ि□ □□ □□ □□ □

6. (1) □ध्□क्ष □□ □□□ 4 □ी □□□□□ (4) □□ □□ (□) □□ □□ (□) □□□□□ नि□क्□ □□□ि□□ □□स्□ों से भिन्न □□स्□ □□ □□□□ि□□ □□ □ी □□ि □□ि□□ □□ धारण करगे और किसी विस्ता□ □□ पुनर्नियुक्ति □□□त्र □□ी□ि□□:

□□□□□□ व्□क्ति □त्□र वष की आयु पूण कर लेने के पश्चा□ □□ □□□ □□□□□□ प्रविरत हो जाएगा ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह उस पद को □□□ □□□ □□□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □□स्□ □□

(3) □□□(□□□ □□स्□ से भिन्न) □□ □□स्□ आयोग की तीन क्रमवर्ती सामान्य बैठकों से अनुपस्थि□ □□□ □□□ □ □□ □□□स्थ□ति का कारण आयोग की राय म कोई विधिमान्य □□□ □□ी□□□ □□ □□□ □,□□□□□□□□स्□ □□□□□ □□ □□□ □□□ कि उसने अपना पद रिक्त □□ कि□□ □□

(4) □ध्□क्ष □□ □□स्□ (□□□ □□स्□ से भिन्न) □□ □□□ □□ □□ □त्□□□□ उनकी सेवा के निबंधन और शत वे होंगी, □□ नि□ि□ □ी □□□

(5) □ध्□क्ष □□ □□ □□स्□,--

(क) कद्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना □□ त्□□ □□□ ; □□

(□) □□□□□ 7 □□□□□ों □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□ :

□□□□□□व्□क्ति □□ □□ □□ □□□□□□□□र्□ी □□□क्□ नि□□ □□ □□□ □□ यदि कद्रीय सरकार ऐसा विनिश्च□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□श्□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□, □□ □□ नि□□ □त्□□□ों □ी नि□□क्□ □□ी□□ □□□ □□

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, □□□प्ररूप और रीति म, जो विहित की जाए, अपना पद ग्रहण करने के समय और अपना पद छोड़ने के समय अपनी आस्तियों और अपने दायित्वों की घोषणा करगे और अपनी वृत्तिक और वाणिज्यिक कायव्□स्□□□ □□ अंतर्ग्रस्तता की भी घोषणा करगे ।

(7) □ध्□क्ष □□ □□ □□स्□, इस प्रकार पद धारण करने से प्रविरत हो □□□□ □श्□□,□ऐसा पद छोड़े जाने की तारीख से एक वष की अवधि के लिए, नि□□ □□ प्र□□□ □□ि□ज्ञ□□ □स्□□ □, □□□□□ि□□ □□□□□ □□□□ध्□क्ष □□ □□स्□ द्□□□ प्रत्□क्ष रू□ □□ या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कारवाई की गई है, नि□□ □ि□□□ □, जिसके अंतगत कोई परामर्शी □□ नि□□ज्ञ □□ □,□ □□ नि□□□ स्□□□ □□ी□□□ :

परंतु इसम की किसी बात का, □□□व्□क्ति □□ नि□□ नि□□ □□ □स्□ □, □□□□ □□गत कद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित आयुर्विज्ञान □स्□ □□ □,नि□□ नि□□□ □□ स्□□कार करने से निवारित करने के रूप म अथ नहीं

[illegible] :

परंतु यह और कि इसम की कोई बात, कद्रीय सरकार को, [illegible]क्ष या किसी सदस्य को किसी ऐसी प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्था [illegible], जिसके किसी मामले म ऐसे अध्यक्ष [illegible] द्वारा कोई कारवाई की गई है, किसी हैसियत म, जिसके अंतगत कोई परामर्शी या विशेषज्ञ [illegible] अनुज्ञात करने से निवारित नहीं करेगी ।

7. (1) कद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, [illegible]क्ष या किसी अन्य [illegible],-- [illegible]

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ; [illegible]

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसम कद्रीय सरकार की राय म नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त [illegible]

([illegible]) [illegible] के रूप म काय करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से [illegible]

([illegible]) [illegible]चित्त [illegible]क्ष[illegible] ऐसी घोषणा विद्यमान [illegible]

(ङ) जिसने ऐसा वित्ती[illegible] हित अजित कर लिया है जिसके कारण [illegible]रूप म उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; [illegible]

([illegible]) [illegible] प्र[illegible] [illegible] रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(2) [illegible] (1) [illegible] ([illegible]) [illegible] ([illegible]) [illegible], जब तक उसे मामले म सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया [illegible]

8. (1) [illegible] प्र[illegible], जिसकी नियुक्ति धारा 5 के उपबंधों के अनुसार कद्रीय सरकार द्वा[illegible] [illegible]

(2) [illegible] व्यक्ति [illegible], [illegible] प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता, [illegible], जो विहित की जाएं [illegible]

(3) सचिव की नियुक्ति कद्रीय सरकार द्वारा चार वष की अवधि के लिए की जाएगी [illegible]र या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

(4) सचिव आयोग के ऐसे कृत्यों [illegible], [illegible] द्[illegible] और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट [illegible]

(5) [illegible], इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों [illegible]क्ष [illegible], [illegible] द्[illegible], उतने अधिकारियों और कमचारियों की नियुक्ति [illegible], [illegible]

(6) [illegible], अधिकारियों और अन्य कमचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शत वे होंगी, [illegible]हित की जा[illegible]

(7) [illegible], विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उतनी संख्या [illegible]

[illegible] ध्[illegible]क्ष [illegible]

[illegible], [illegible], अधिकारियों और [illegible]

[illegible] [illegible]ता वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्ति[illegible] [illegible], [illegible] ऐसे क्षेत्रों म, [illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा, [illegible] स[illegible]स्थ्य, प्र[illegible], स[illegible]स्थ्य संबंधी अथशास्त्र, [illegible] [illegible]क्ष [illegible], स[illegible]स्थ्य [illegible], विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्र[illegible], वित्त, लेखे और विधि [illegible], विशेष ज्ञान और अनुभव है, [illegible] [illegible]त[illegible] के निवहन म आयोग की सहायता के लि[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible]

9. (1) [illegible], प्रत्ये[illegible] [illegible] स[illegible] [illegible], [illegible] द[illegible] [illegible]

(2) [illegible]क्ष, [illegible]क्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष आयोग की बैठक म उपस्थित होने म असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट [illegible] स[illegible]शासी बोड का प्रधान रहा हो, [illegible]

(3) जब तक विनियमों द्वारा आयोग की बैठकों म अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध म अन्यथा उपबंधित न किया जाए, [illegible]क्ष सहित आयोग के सदस्यों [illegible] के आधे से होगी और आयोग के सभी कृत्यों [illegible] उसकी अनुपस्थिति [illegible] (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स[illegible]शासी बोड के प्रधान का [illegible]

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष म निहित होगा ।

(5) आयोग द्वारा किए गए किसी काय को उसके सदस्यों म किसी रिक्ति [illegible] गठन म कोई त्रुटि होने के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) [illegible], [illegible] धारा 30 की उपधारा (4) म निर्दिष्ट [illegible] विनिश्चय के [illegible] य के विरुद्ध कद्रीय सरकार को अपील प्रस्तु[illegible]

[illegible] [illegible]

10. (1) [illegible], निम्न[illegible] [illegible]--

(क) आयुर्विज्ञान शिक्षा को उच्च क[illegible] स[illegible] के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त [illegible] ;

([illegible]) [illegible], आयुर्विज्ञान संबंधी अनुसंधानों और चिकित्सा [illegible] को विनियमित करने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त [illegible] विनियम बनाना ;

([illegible]) स[illegible]स्थ्य [illegible], जिसके अंतगत स्वास्थ[illegible] स[illegible]स्थ्य [illegible]क्ष[illegible] बनाना और ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक आलेख विकसित करना ;

([illegible]) [illegible], स[illegible] आयुर्विज्ञान परिषदों के उचित कायकरण [illegible]य और मागदशक सिद्धांत विरचित करना और आवश्यक विनियम बनाकर नीतियां अधिकथित करना ;

([illegible]) स[illegible] ;

(च) इस अधिनियम के अधीन विरचित मागदशक सिद्धांत और बनाए गए वि□ि□□□ों □□ □□ज□ चिकित्सा परिषदों द्वारा अनुपालन सुनिश्चि□ □□□□□□□□□□□ □□□□, □□ □□श□□ □ों ;

(□) स□शासी बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध म अपीली□ अधिकारिता का प्रयोग □□□□ ;

(□) वि□ि□□□ □□□□□□ □ □□□□□ वि□□□□□ □□□□□□□ □□ □ि□□श□□ □□□□ □□ि□□ नीतियां और संहिता अधिकथित करना तथा चिकित्सा □□वसायियों द्वारा □□□□□ □□□□□□□□□□ वि□□□चारों आचरण का संवधन करना ;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानित विश्वविद्यालयों म □, □□ इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते ह, □□□□ प्रि□□□ स□□□ों □ों □□□□ □ो□ □□ □न्□ प्र□□□ों □□अवधारण के लिए मागदशक सिद्धांत विरचित करना ;

(□) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य □□□□ों □□ नि□□□□ □□□□, जो विहित किए जाएं ।

(2) आयोग के सभी आदेश और विनिश्च□ □ि□□ □□ □स□□क्षर द्वारा अधिप्रमाणि□□ □ि□□

(3) □□□□, सचिव को अपनी ऐसी प्रशासनिक और वित्ती□ वि□□□ों □□□□ि□□ □□क्□यां प्रत्या□□□□ □□ □□□□, □□ □□ □ो□ □□□□

(4) आयोग उप समितियां गठित कर सकेगा और ऐसी उप समितियों को अपनी ऐसी □□क्□यां प्रत्या□□□□ □□ □□□□, जो उन्ह विनिर्दिष्ट □□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ लिए आवश्य□ □ों □

अध्याय 3

आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद्

11. (1) □द्री□ □□□□□, आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय □□ □□□ □□□□ □

आयुर्विज्ञान □□□□□□ □ि□□द □□ □□□ □□ □□□ो □□□□□ □

(2) परिषद्, □ध्□क्ष □□ निम्नलिखित सदस्यों □□ि□□□□ □□□□,--

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष □□□□ :

(ख) आयोग के प्रत्ये□ □□स□ □ि□□द □□□□□ □□स□ □ि□□;

(ग) प्रत्ये□ □□ज□ का प्रतिनिधित्व □□□□□□ि□□, □□ □□ज□ □□□□□ द□□□ नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, □□ □□ □□ज□ म किसी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का कुलपति हो ;

(घ) प्रत्ये□ □□ □□ज□क्षेत्र का प्रतिनिधित्व □□□□□□ि□□, □□□□ □□□□□ □□□□ मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट वि□□ □□□□□□□ □□ □□स□, □□ □□ □□ □□ज□क्षेत्र □ किसी स्वास्थ्य वि□श□विद्यालय का कु□□ि□ □□ ;

(□) प्रत□□ □□ज□ □□ प्रत□□ □□ □□ज□क्षेत्र का प्रतिनिधित्व □□□□□□ि□□, राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों म से, उस राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य ;

(□) □ध□क्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ;

(□) नि□□□, राष्ट्रीय निधारण और प्रत्यायन परिषद ;

(□) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था□ों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान □स□ान म निदेशक का पद धारण करने वाले व्यक्ति□यों म से कद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कि□ □□□□□□□□□ □□स्□ :

परंतु यदि किसी राज्□ □□ □□ □□ज्□क्षेत्र म कोई स्वास्थ्य वि□श्□विद्यालय नहीं है तो □□ □□ज्□ □□ □□ □□ज्□क्षेत्र म के किसी ऐसे विश्वि□द्□□□□ □, □□□□□ □□ि□□□ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय सहबद्ध ह, □□□ि□ □□ □□ज्□ □□□□ द्□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □त्रा□□ द्□□□ नामनिर्दिष्ट कि□□ □□□□ :

परंतु यह और कि यदि किसी संघ राज्यक्षेत्र म कोई विश्वि□द्□□□□ □□ि□□□□□ □□ मंत्रालय किसी ऐसे सदस्य को नामनिर्दिष्ट □□□, □□□□□□□ □□□ आयुर्विज्ञान अहता और □□□□ □□, □□ कि□□□ कि□□ □□□ □

आयुर्विज्ञान □□□□□□ परि□□द □□ □ति□ □

12. (1) परिषद ऐसा प्राथमिक मंच होगा, □□□□□□□ध्□□ □□□ज्□ □□ □□ □□ज्□क्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचार और प्रसंग रख सकगे और जो आयुर्विज्ञान शिक्षा और प्रशिक्षण से संबंधित समग्र का□□□□, नीति और काय को आकार प्रदान करने म सहायक हो □□□□

(2) परिषद, आयोग को आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित सभी विषयों के न्यू□□□ स्□रमान के अवधारण और उसे बनाए रखने के लिए तथा उन्ह □□□□ रखने के लिए समन्व□ □□□□□□ि □□ □□□□ □□□ □

(3) परिषद, आयोग को आयुर्विज्ञान शिक्षा के प्रति न्यायोचित पहुंच की अभिवृद्धि □□□□□□□□ □□□□ि □□ □□□□ □□□ □

आयुर्विज्ञान □□□□□□ परिषद की □□□ □

13. (1) परिषद की बैठक, □□ □ □□ □□□□ □□□ □□□, □□□□□□ □□ स्□□□ □□, □□ □ध्□क्ष द्वारा विनिश्चि□ कि□□ □□□, □□□□ □

(2) □ध्□क्ष, परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद की बैठक म उपस्थित होने म असमथ है □□ □□□ □न्□ □□स्□, □□ □ध्□क्ष द्□□□ नामनिर्दिष्ट कि□□ □□□, □□□ □ी □ध्□क्ष□ □□□□ □

(3) जब तक विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा विहित न की जाए, गणपूर्ति परिषद के □ध्□क्ष □ि□□ □□□□ प्रि□□□ □□स्□ों से होगी और परिषद के सभी कार्यों का विनिश्च□ □□□स्थि□ □□ □□ □□□□□□□□स्□ों □□□□□□ □□□□□ □

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्री□ □त्र□-□□-प्र□□ □□क्षा□ □

14. (1) सभी आयुर्विज्ञान संस्था□□□, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होती ह, स्□□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु एक सामान्य राष्ट्री□ □त्र□-□□-प्रवेश परीक्षा □□□ :

परंतु स्नातकपूव चिकित्सा शिक्षा म प्रवेश के लिए समान राष्ट्रीय पात्रता-□□-प्र□□ परीक्षा, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं को भी □□□□□□ □

(2) □□□□, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्यम से और ऐसी रीति म, □□□□ □□ □□□ □न्□ □□□□□□, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, राष्ट्री□ □□त्र□-□□-प्र□□ परीक्षा का संचालन करेगा ।

(3) □□□□, विनियमों द्वारा, □□□ □□□ □□ज्ञ□ □स□□□□, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होती ह, स्नातक पूव और स्नातकोत्तर स□□ी □□ प्र□□ □□ि□□ अभिहित प्राधिकारी द्वारा सामान्य काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट □□□ :

□□□□ि□□ □□□□□ स□नों के लिए सामान्य काउंसलिंग कद्रीय सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा और राज्य स□□ □□स□□ी □□ि□□ □□□न्□ □□□□ि□□ □ज□ □□□□र का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा ।

15. (1) ि□□त्□ □□□□ि□ों □□रू□ □ ि□□त्□ □□□□□ □□□□□□□ □□ज्ञ□□ प्रदान करने के लिए □□, □□□स्ट्री□, □ज□ □□□स□□ □□ □ष्ट्री□ □□□स□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□न्□ राष्ट्रीय निगम परीक्षा नामक अंतिम वष स्नातक पूव परीक्षा □□□□□ □ी □□□□ □ राष्ट्री□ ि□□□ □रीक्षा □

(2) □□□□, ऐसे अभिहित प्राधिकारी के माध्य□ □□□□ □□□ र□ि□ □, □□ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, राष्ट्रीय निगम परीक्षा □□ □□□□□ □□□□ □

(3) राष्ट्री□ निगम (एक्सिट) परीक्षा, इस अधिनिय□ □□प्र□□ □ी □□□□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□ □□□□ □□ जो कद्रीय सरकार द्वारा, □ि□□□□ द□□□, ि□□□ □ी □□□, प्र□ि□□ □□□□ □

(4) विदेशी आयुविज्ञान अहता वाले किसी व्यक्ति को, चिकित्सा व्यवसायी के रूप म चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति अभिप्राप्□ □□□□ □□ प्र□□□□ □□ ि□□ □□, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर म ऐसी रीति म, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामांकन हेतु राष्ट्रीय निगम (एक्सिट) परीक्षा अहित करनी होगी □

(5) राष्ट्रीय निगम परीक्षा, ऐसी आयुविज्ञान संस्थाओं म, जो इस अधिनियम के □□□□ों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन □ि□□ □□□ □, स्नातकोत्तर बोड विशेषित आयुविज्ञान शिक्षा हेतु प्रवेश का आधार होगी ।

(6) □□□□, विनियमों द्वारा, □□□□□ (5) म निर्दिष्ट □□ज्ञ□ □स□□□□□ स□□□□त्□□ विशिष्ट विशेषित स्थानों □ि□□ प्र□□ □□अभिहित प्राधिकारी द्वारा □□□न्□ काउंसलिंग करने की रीति विनिर्दिष्ट □□□ :

□□□□ि□□ □□□□□ स□नों के लिए सामान्य काउंसलिंग कद्रीय सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा और राज्य स□□ □□स□□ी □□ि□□ □□□न्□ □□□□ि□□ □ज□ सरकार का अभिहित प्राधिकारी संचालित करेगा ।

अध्याय 5

स्वशासी बोड

16. (1) □द्री□ □□□□□, □ि□□□□ द□□□, निम्नलिखित स्व□□□ □□ी □□, □□ अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को सौंपे गए कृत्यों का आयोग के संपूण पयवेक्षणाधीन □□□□ □□□□ि□□ □□□ □□□□, □□□□ □-- स□□□□ □□ी □□ □□□ □

(□) स□तकपूव आयुविज्ञान शिक्षा बोड ;

(□) स□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड ;

(□) □□□□त□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ ; □□

(□) □□ष□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□ □

(2) □□□□□□ (1) म निर्दिष्ट प्रत□क बोड एक स्व□□□ □□□□ □□□, □□ □□□□ द□□□ बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का संपादन □□□□ □

स□□□□ □□□ □□ □□□□ □

17. (1) प्रत□□ स□□□□ □□□, □□ प्र□□□ □□ □□ □□□□□□ □□स□ □□ □□ □□□□□□ □□स□ □□□□□□ □□□□ □

(2) प्रत्ये□ स□□□□ □□□ □□ प्र□□, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड और स□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड के □□□ □□स□ (□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□स□ □□ □) □□□ □□□त□ निधारण और रेटिंग बोड तथा शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ बोड म □□प्रत□□ □□□ □□स□ (जिसके अंतगत एक अंशकालिक सदस्य भी है) □त□ष□ □□□□, प्रमाणित प्रशासनिक सामर्थ्य □□ □त□□ष□ □□□□□□□□व्यक्ति □□□□□□□□□ किसी विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान की किसी विद्याशाखा म स्ना□□त□र डिग्री हो और □□न्ह ऐसे क्षेत्र म कम से कम पन्द्र□ □□ □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ तक वह आयुर्विज्ञान शिक्षा, □□□ स□स्थ्य, □□□□□□ □□□□ □□ स□स्थ्य □□□□□□ □□ क्षेत्र म अग्रणीय के रूप म रहा हो ।

(3) □□□त□ निधारण और रेटिंग बोड का □□□□ □□स□, □त□ष□ □□□□□ □□ □त□□ष□ □□□□ □□□ व्यक्ति □□□□, जिसके पास किसी विश्व□द्□□□□ □□प्र□□□, क□लिटी □श□□□, विधि या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी विद्याशाखा म स्ना□□त□□ □□□ □□ और जिन्ह ऐसे क्षेत्र म कम से क□ □न्द्र□ □□ □□ □□□□ □□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□ वष तक वह अग्रणीय के रूप म रहा हो ।

(4) □ष□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□ □□ □□□□ □□स□, □त□ष□ □□□□□ □□□□ □□□ व्यक्ति □□□□, जिसने चिकित्सा शिष्टाचार संबंधी काय के लोक अभिलेख का निदशन किया हो या □त□ष□ □□□□□ □□□□ □□□ व्यक्ति □□□□, □□□□□ □□□ □□□□ विश्व□द्□□□□ □□क□लिटी आश्वा□□, □□□ स□स्थ्य, विधि या □□□ □क्ष □□□□ □□ □□□□ विद्याशाखा म स्ना□□त□र डिग्री हो और जिन्ह ऐसे क्षेत्र म कम से कम पन्द्र□ □□ □□ □□□□ □□, जिनम से कम से कम सात वष तक वह अग्रणीय के रूप म रहा हो ।

(5) प्रत्येक स्वशासी बोड का चौथा सदस्य, □□ □□□□□□ □□स□ □□□ज्य चिकित्सा परिषद के निर्वाचित सदस्यों म □□□□□ □□□ □, □□ □□□□ □□ □□□, □□□ □□□□□ □

प्र□□ □□ □□स□ □□ नियुक्ति □□□□ □□□□□ □□□ □

18. □द्री□ □□□□□, धारा 17 की उपधारा (5) म निर्दिष्ट सदस्यों के सिवाए, स□□□□ □□□ □□प्र□□□ □□ □□स□ □□ □□□व्यक्ति, धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, उस धारा म विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार करेगी ।

प्र□□ □□ □□स□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □

19. (1) प्रत□□ स□□□□ □□□ □□ प्र□□□ □□ □□स□ (□□□□□क सदस्यों से भिन्न) चार वष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करगे और किसी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

[illegible]प्रत[illegible] स्[illegible]शासी बोड के अंशकालिक सदस्य दो वष की अवधि के लिए पद धारण [illegible]:

[illegible] स्[illegible] [illegible]र वष की आयु पूण कर लेने के पश्चा[illegible] करने से प्रविरत हो जाएगा ।

(2) स्[illegible] प्र[illegible] स्[illegible] (अंशकालिक सदस्यों से भिन्न) को संदेय [illegible] त[illegible] तथा उनकी सेवा के निबंधन और शत [illegible], जो विहित की जाएं :

[illegible]प्रत[illegible] स्[illegible] अंशकालिक सदस्य, [illegible] त[illegible] [illegible], जो विहित [illegible]

(3) [illegible] [illegible]क्ष [illegible] स्[illegible] की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 [illegible] (3), [illegible] (5) , [illegible] (6), [illegible] (7) [illegible] (8) [illegible] 7 म के अंतर्विष्ट [illegible] स्[illegible] प्र[illegible] [illegible] स्[illegible]

20. (1) शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड के सिवाय प्रत्ये[illegible] स्[illegible] की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी, [illegible] के दक्ष निवहन के लिए आयोग द्[illegible] विशेषज्ञों की [illegible]

(2) [illegible]चार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी [illegible]चार समितियों द्वारा की जाएगी, [illegible] त[illegible] [illegible]क्ष [illegible] द्वारा गठित की जाएं ।

21. स्[illegible]शासी बोर्डों के लिए उतनी [illegible] म और ऐसी रीति म, [illegible] द्[illegible] विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट [illegible], [illegible] 8 [illegible] स्[illegible]

22. (1) प्रत्ये[illegible] स्[illegible], प्रत्ये[illegible] [illegible], [illegible] स्[illegible] [illegible] स्[illegible] की बैठकें, [illegible]

(2) स्[illegible]शासी बोड के सभी विनिश्च[illegible], प्रधान और सदस्यों [illegible] द्[illegible]

(3) [illegible] 28 [illegible] द्[illegible]के[illegible], [illegible] स्[illegible] [illegible] विनिश्चय के विरुद्ध आयोग को अपील कर सकेगा ।

23. (1) प्रत्ये[illegible] स्[illegible]शासी बोड के प्रधान को ऐसी प्रशासनिक और वित्ती[illegible] [illegible]के[illegible], जो आयोग द्वारा दक्ष रूप से काय करने के लिए ऐसे बोड को समथ बनाने हेतु उसे प्रत्या[illegible] स्[illegible] [illegible]के[illegible] [illegible]के[illegible] प्रत्या[illegible]

(2) [illegible] स्[illegible]शासी बोड का प्रधान, उस बोड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को [illegible] [illegible]के[illegible]यों म से किन्हीं [illegible]के[illegible]यों का और प्रत्या[illegible]

स्□□□□□□ आयुर्विज्ञान □क्षा □□□ □ी □□के□□□□ □□ □त□ □

24. (1) स्□□□□-□□ □□र्विज्ञान शिक्षा बोर्ड निम्नलि□ि□□ □ृत्□ी □□ □□□□ □□□□, □□□□ □--

(□) स्□□□□-□□ स्□र पर आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्त□□□□ी □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ि□□ □□□ □□□□ □□ी □ि□□□□□ □□□□ ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्□□□□□□ स्□□ □□ □ि□शील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक आयुर्विज्ञान और कौटुम्बि□ □□र्विज्ञ□ □□श□□□□□□□□□, □□□क्षेत्रों □ स्□□स्थ्य □□□□ □□□□□ □ि□□श□□ □□□□□□ि□□ □□□ □□□□□□□□ि□□□□ पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना ;

(□) □□ □ी □□श□□□□□□□□□ □□□त्रिक मानकों को ध्या□ □ □□□□□□, □□ अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्□□□□□□ पाठ्यक्रमों में शिक्षण हेतु आयुर्विज्ञान संस्था□□□ी स्□□□□ □□ि□□ □□□□□□ सिद्धांत विरचित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार □□र्विज्ञ□ □स्□□□□□, स्□□□□ स्□ी □□ □□□□त□□□□ □ी □□श□□□□□□□□ ध्□□□ में रखते हुए पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लि□, □□□□□□□□□ □□□-□□□ □स्□□ओं द्वारा कुछ पाठ्यक्र□ी □ी □ि□□ल□□□ □□□□ □□ □,न्□□□□ □□क्ष□□□ □□ स्□□□□□ी □□ □□□□□□ □□□□ ;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार स्□ातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□ब□ □□□□□□□□ि□□ □□र्विज्ञ□ □स्□□ओं में की □□□□□□□, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्त□□□□ी □□ □□□□ी □□ □□□□□□ □□□□ ;

(□) स्□□□□□□ □□ठ्□क्र□ी □□□ध्□□पन के लिए संकाय सदस्यों □□ि□□□□ □□ प्रशिक्षण को सुकर बनाना ;

(□) स्□ातकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा से सं□ि□त अनुसंधान और अंतरराष्ट्री□ □□त्र □□ □□□□ □□स्□ □□□□□□-प्र□□□ □□□□ कार्यक्रमों को सुकर बनाना ;

(झ) आयुर्विज्ञान संस्था□□द्□□□□ □□क्ट्रॉनिक रूप से या अन्य□□, □□□□□□□ □त्□ी □□□□□ □, जो छात्रों, □□□□ □□स्□ी, □□□□ □□ □द्रीय □□□□□ □ि□□ □□□ पणधारियों के हित से संबंधित है, अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए मानक विनिर्दिष्ट □□□□ ;

(□) स्□□□□□□ स्□□ □□ आयुर्विज्ञान संबंधी किसी अह□□ □□ □□न्□□□ □□□ □

(2) स्□□□□-□व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को □□□ सिफारिश कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा □□ □□□□, □□ □□ □□श□□ □□□□□

स्□□□□त□□ आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की □□के□□□□ □□ □त□ □

25. (1) स्□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड निम्नलि□ि□□ □ृत्□ी □□ □□□□ □□□□, □□□□ □--

(□) □□ अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स्□□□□त□□ स्□र पर और अति विशिष्ट स्□र पर आयुर्विज्ञान शिक्षा के स्त□□□□ □□ □□□□□□

[illegible] ;

([illegible]) स[illegible]स्थ्य [illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा देने और आयुर्विज्ञा[illegible] स[illegible]रों और अति विशिष्ट विशेषज्ञों [illegible], ज्ञा[illegible], अभिवृत्ति, [illegible] इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स[illegible] स[illegible] [illegible]शील पाठ्यचर्या पर आधारित क्षमता विकसित करना ;

([illegible]) [illegible]त्रिक मानकों को ध्या[illegible], इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स[illegible] पाठ्यक्रमों में शिक्षण हेतु आयुर्विज्ञान संस्था[illegible] स[illegible] के लिए मार्गदर्शक [illegible] ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार आयुर्विज्ञान [illegible]स[illegible] स[illegible]र और अति विशिष्ट पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के [illegible] ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार स[illegible] अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा के संचालन के [illegible]ओं में की [illegible], संकाय और शिक्षा की क्वालिटी के लिए स्त[illegible] ;

([illegible]) स[illegible] [illegible]ठ्[illegible]क्र[illegible] [illegible]स्[illegible] के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना ;

([illegible]) स[illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा से संबंधित अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय छात्र और संकाय सदस्य [illegible]-प्र[illegible] [illegible]क्र[illegible] ;

([illegible]) [illegible]ज्ञ[illegible] [illegible]स[illegible]द[illegible] [illegible]क्ट्र[illegible] रू[illegible] [illegible] [illegible]त[illegible], [illegible]त्रों, [illegible]स[illegible], [illegible]द्रीय [illegible] पणधारियों के हित से संबंधित है, अनिवार्य वार्षिक प्रकटन के लिए मानक विनिर्दिष्ट [illegible] ;

([illegible]) स[illegible] [illegible]ति विशिष्ट स[illegible] आयुर्विज्ञान संबंधी किन्हीं [illegible] ;

([illegible]) कुटुंब औषधियों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का संवर्धन करना और उसे सुकर [illegible]

(2) स[illegible]त[illegible]र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिश कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा [illegible], [illegible]श[illegible]

26. (1) चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड निम्न[illegible] [illegible]त[illegible], [illegible]:-- [illegible]

([illegible]) [illegible]ज्ञ[illegible] [illegible]स[illegible], इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के [illegible], [illegible], स[illegible]तकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्ना[illegible]त्त[illegible] [illegible]ज्ञ[illegible] शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिकथित स्त[illegible]

रेटिंग के लिए प्रक्रिया अवधारित करना ;

(□) □□□ 28 के उपबंधों के अनुसार किसी नए आयुर्विज्ञान संस्थान की स्था□□ के लिए या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए, या स्थानों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति देना ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी संस्था□ □□□ निधारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्था□ □□□ नि□क्ष□ □□□□ :

□□□□ि□ि□त□□ निधारण और रेटिंग बोड, यदि आवश्य□ □□□,□□□ □स□□ □ □□□ निधारण और रेटिंग हेतु आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए किसी अन्य पक्षकार अभिकरण या व्य□क्□□ि □□ □□□□पर ले सकेगा या प्राधिकृत कर सकेगा :

□□□□□□ □□ ि□ □□□ि□ि□त□□ निधारण और रेटिंग बोड द्वारा प्राधिकृत किसी □न्□ पक्षकार अभिकरण या व्य□क्□यों द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण किया □□□□ □,□□□□□□ □स□□ □ □□□ □□ □□ध□कारी होगा कि वह ऐसे अभिकरण या व्य□क्□ □□ □□□ □□□ब□ □□□□□ ;

(□) □□□ □ □ि□ज□□ □स□□ □ □□□, उनके प्रारंभ होने की ऐसी अवधि के भीत□ □□ □□□□□श□□□ □प्रत□□ □□, ऐसे समय पर और ऐसी रीति म, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, निधारण और रेटिंग करना या निधारण और रेटिंग करने के लि□ स□तंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलित करना ;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार नियमित अंतरालों पर आयुर्विज्ञान संस्था□ □ □□ ि□□□□□ □□ □ि□□ □□ □□□ी □□□□□□ □□ □□ सावजनिक पटल पर उपलब्ध □□□□ ;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, □□□रे□ि□, स□□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड या स्ना□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड द्वारा विनिर्दिष्ट न्□□□□ □□श□□ स□रमानों को बनाए रखने म असफल रहने के लिए किसी आयुर्विज्ञान संस्था □□ि□रुद्□ □□□□□□□ □□□□, □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□से □□ □ि□□□□□, प्र□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□न्□□□ वापस लेने की सिफारिश करना भी है :

(2) चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड, अपने कृत्यों के नि□वहन म आयोग को ऐसी सिफारिश कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा □□ □□□□□, □□ □□ □□श□□ □□□□□

चि□ष□□□□ □□ चि□ि□त□□ रजिस्ट्री□□□ बोड की शक्ति□□□ □□ □त□ □

27. (1) चि□ष□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□ निम्नलि□ि□□ □त□ि □□ □□□□ □□□□, □□□□ □--

(□) □□□ 31 के उपबंधों के अनुसार सभी अनुज्ञप्त चि□ि□त□□ व्□□□ि□□ि □□ एक राष्ट्री□ □□□स□□ □□□□ ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वृत्ति□ □□□□ को विनियमित करना और चिकित्सा चि□ष□□□□ □□ □□□□ □□□□ ;

□□□□□□ □□□ □, □□□□□ज□ चिकित्सा परिषद को संबंधित राज्य □ि□ि□□□ि □□ अधीन चिकित्सा व्□वसायियों द्वारा वृत्ति□ □□ चि□ष□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□त□क कारवाइयां करने की शक्ति प्रदत्त □ी □□ □□, चि□ष□□□□ □□

ि□ि□त्□क रजिस्ट्री□□□ □□□, □□ज्□ चिकित्सा परिषद के माध्य□ □□□□ित□□ □□ शिष्टा□□□ □□□□ आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चि□ □□□□ ;

(□) ि□ि□त्□□ व्□वसायियों और वृत्तिकों के आचरण को प्रभावी रूप से संवधित और विनियमित करने के लिए राज्य चिकित्सा परिषद के साथ सतत् संपक बनाए □□□□□□ि□□ □त्र ि□□ि□□ □□□□ ;

(□) □□□□ 31 □□□□□□ ि□□□ □□ज्□ चिकित्सा परिषद द्वारा की गई कारवाइयों के संबंध म अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना ।

(2) ि□ष्□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□, अपने कृत्यों के निवहन म आयोग को ऐसी सिफारिश कर सकेगा और ऐसे निदेशों की ईप्सा □□ □□□□, □□ □□ □□श्□□ □□□□

28. (1) □□□ व्□क्ति□, चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड की पूव अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना किसी नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्था□□□ □□ि□□□□□ □□ □□□ □न्□ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ नहीं करेगा या स्थानों की संख्या म वृद्धि नहीं करेगा ।

नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय □□ स्□□□□ □□ ि□□ □□ज्ञा □

(2) □□□ व्□क्ति□, □□□□□□ (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए □□□ ि□ि□ष्□यां अंतविष्ट □□□□□□, ऐसे प्ररूप म, ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति म, □□ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, ि□ि□त्□□ निधारण और रेटिंग बोड को स्कीम प्रस्तु□ □□ □□□□ □

(3) चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड, धारा 29 म विनिर्दिष्□ कसौटियों को ध्या□ □ □□□□□□, □□□□□□ (2) □□□□□□ प्राप्□ स्कीम पर विचार करेगा और ऐसी प्राप्ति □ी □□□ि□ से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी स्की□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ :

□□□□□□□ स्□ीम का अननुमोदन करने के पूव संबंधित व्यक्ति□ को त्रुटियों के, □ि□ □□□ □ी, □□□□ □□ □□ □□□□ ि□□□ □□□□□ □

(4) □□□□□□□□□□ (3) के अधीन किसी स्की□ □□ □□□□□□ □□ ि□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ (1) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्था□□□ □□ि□□ □□ज्ञा □□□□ □

(5) □□□□□□□□□□ (3) के अधीन किसी स्की□ □□ □□□□□□□ ि□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ (1) □□□□□□ □□□ स्□ी□ प्रस्□त करने के छह मास के भीतर कोई विनिश्च□ □□ि□ ि□□□ □□□□ □□□□□□□□द्□ व्□क्ति□, □□□ □ि□ □, □□ ि□नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, □□□से□ि□, ऐसे अननुमोदन के पन्द्र□ ि□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ स्□ी□ □□ □□□□□□ □□ि□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □

(6) □□□□, □□□□□□ (5) □□□□□□ प्राप्□ □□□□ □□ ि□ि□श्□□ □□□□ प्राप्□ □□□□□ी तारीख से पतालीस दिन की अवधि के भीतर करेगा और यदि आयोग स्की□ □□ □□□□□□ कर देता है तो ऐसा अनुमोदन नया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए □□□□□□ (1) के अधीन अनुज्ञा होगी और यदि आयोग स्की□ □□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□ विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्च□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□द्□ व्□क्ति□, □□□से□ि□, ऐसे अननुमोदन की संसूचना के तीस दिन के भीतर या विनिर्दिष्ट □□ि□ □□□

जाने पर कद्रीय सरकार को दूसरी अपील प्रस्तु□ □□ □□□□ □

(7) चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड, किसी समय प्रत्यक्षत: या किसी अन्य □□□ज्ञ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □, किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था □□ □ल□कन और निधारण करा सकेगा और ऐसे आयुर्विज्ञान संस्था □□□□□ □□□□□□□, स□रमान और निदर्शाचिन्हों का निधारण और मूल्यां□□ □□ □□□□ □

स्पष्टीकरण—□□ □□□ □□ प्र□□□□ □□ □□, "□□□□" □□ □□ □□□□ □□□ विश्वविद्यालय, □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ इसके अंतगत कद्रीय सरकार नहीं है ।

स्का□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □

29. □□□ 28 के अधीन किसी स्का□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□, □□□□□□, चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड या आयोग निम्नलिखित मानदंडों पर विचार □□□, □□□□ □--

(□) □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ ;

(□) क□ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के समुचित कायकरण को सुनिश्चि□ □□□□ के लिए पयाप्त □क्षा□□ □□□□ □□ □□□ □□□□क सुविधाओं का उपबंध किया गया □□□ □□□□ स□ाम म विनिदिष्ट □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ ;

(□) क□ □□□□ चिकित्सा□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ स□ा□ म विनिदिष्ट □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ ;

(□) □□□□□□ □□□□, □□ □□□□ □□□ □□□□:

परंतु कद्रीय सरकार के पूव अनुमोदन के अधीन रहते हुए, □□□ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के लिए, जो ऐसे क्षेत्रों म स्थापि□ □, जो विनियमों म विनिदिष्ट □□ □□□□ मानदंड म छूट दी जा सकेगी ।

□ज□ □□□□□□ परिषद् ।

30. (1) □ज□ □□□□□, □□ □ज□ म यदि वहां कोई चिकित्सा परिषद विद्यमान नहीं □□□□, इस अधिनियम के प्रारंभ के तीन वष के भीतर उस राज्य □ □□□□□ □□□द स□ापित करने के लिए आवश्य□ □□□□ □□□□ □

(2) □□□□□□□ □ज□ अधिनियम, □ज□ चिकित्सा परिषद को, □□□ □□□स्ट्री□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□क द्वारा किए गए किसी वृत्ति□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□क कारवाइयां करने के लिए शक्ति प्र□□ □□□□ □□ □□□□□□ज□ □□□□□ परिषद इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मागदशक सिद्धांतों के अनुसार काय करेगी :

परंतु उस समय तक जब तक किसी राज्य म राज्य चिकित्सा परिषद की स्था□□□ □□□ □□ □□□□ □□ शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□, □□□ प्रक्रिया के अनुसार, □□ विनियमों द्वारा विनिदिष्ट □□ □□□, □□ □ज□ म के किसी रजिस्ट्री□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□क के विरुद्ध किसी वृत्ति□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ प्रा□□ □□□□ :

□□□□□□ □□ □□, □□□□□□, □□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड या राज्य

चिकित्सा परिषद् ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कारवाई, जिसके अंतगत किसी आथिक शास्ति □□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ किए जाने से पूव संबद्ध चिकित्सा □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □

(3) कोई चिकित्सा □□□□□□ □□ □□□□, □□ □□□□□ (2) □□□□□ □□ज□ चिकित्सा परिषद् द्वारा की गई किसी कारवाई से व्यथि□ □□ ऐसी कारवाई के विरुद्ध शिष्टा□□ □□ □□□□क रजिस्ट्रीकरण बोड को अपील कर सकेगा और उस पर शिष्□चार और चिकित्स□ रजिस्ट्रीकरण बोड का विनिश्च□ □□ज□ चिकित्सा परिषद् पर तब तक बाध्य□□ □□□, □□ □□ □□□□□ (4) के अधीन कोई द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं कर दी जाती □□

(4) कोई चिकित्सा □□□□□□ □□ □□□□, जो शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ बोड के विनिश्च□ □□□□□ □□□□□□□य की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील प्रस्तु□ □□ □□□□ □

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,--

(□) "□□ज□" के अंतगत संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित ह और संघ राज्यक्षेत्र के संबंध □ "□□ज□ □□□□□" □□ "□□ज□ चिकित्सा □□□द" □□ □□क्र□□: "□द्री□ □□□□□" □□ "□□ □□ज□क्षेत्र चिकित्सा □□□द" □□प्रे□ □□;

(□) "□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□" के अंतगत किसी ऐसे कृत्य □□ किया जाना या उसका लोप किया जाना सम्मि□□ □□ □□ □□नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□□ □□□ □

राष्ट्री□ □□□र□□ □□ □□ज□ □□□र□□ □

31. (1) शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□, एक राष्ट्री□ □□□र□□ □□□□, जिसम किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा □□□□□□ □□ □□□, □□□, उसके द्वारा धारित सभी □□□ताप्राप्त □□□□□□□ □□□ □□□ विशिष्टि□□ जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□ □□□, अंतविष्ट □□□ □

(2) राष्ट्री□ □□□र□□ □□□प्ररू□ □, □□□□□□□□ □□क्ट्रॉनिक प्ररूप भी है, □□ □□□ रीति म रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□ □□□ □

(3) □□ □□□, □□□□ □□ष्ट्री□ □□□र□□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ उसम से हटाई जा सकेगी और उसके हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□□ □□□□

1872 □□ 1 (4) □□ष्ट्री□ □□□र□□, □□□□□ □□क्ष□ अधिनियम, 1872 □□ □□□□ 74 के अथ म एक □□□ □र□□□ □□□□ □

(5) □□ष्ट्री□ □□□र□□ □□ □□□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड की वेबसाइट पर □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □

(6) प्रत्ये□ □□ज□ चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट □□क्ट्रॉनिक रूपविधा□ □ □□ज□ □□□र□र रखेगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर उसकी वास्तविक प्रति □□□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□ □□ □□□ □

(7) □□□□चार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□, राष्ट्री□ □□□र□□ □□ □□ज□ □□□र□□

□□, ऐसी रीति म इलैक्ट्रानिक तुल्यकालन सुनिश्चि□ □□□□ □□□□□□□ □□□स्□□ □ □□ □□□ □ि□□□□ स्□□: □ी □□□□□□□स्□र म प्रतिबिम्बि□ □□ □□□ □

(8) शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्री□□□ □□□, ऐसी रीति म, जो विनियमां द्वा□□ विनिदिष्ट की जाए, धारा 32 म निदिष्ट सामुदायिक स्वास्थ्य प्र□□□, चिकित्सा व्य□□□□ □□ □□□, पता और उसके द्वारा धारित सभी मान्यताप्राप्त अहताओं सहित ऐसी विशिष्टि□□ अंतविष्ट □□□□□□, ऐसे प्ररूप म, □□□□□ष्ट्री□ □□□स्□□ □□□□ □

□□□□ि□□ स्वास्थ्य प्र□□□ □

32. (1) □□□□, आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसे मानदंड अहित किए ह, जो विनियमां द्वारा विनिदिष्ट किए जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता के रूप म मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सीमित □□ज्ञ□ि□ □□□□□□ :

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□त्त सीमित अनुज्ञप्ति की संख्या धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अनुज्ञप्तिधारी चिकित्सा व्यवसायियां की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी ।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता, जिसे उपधारा (1) के अधीन सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त □ी □□ □□ □□□ □ि□□से□तियां म उस विस्तार तक और ऐसी अवधि के लिए चिकित्सा व्यवसाय कर सकेगा, जो विनियमां द्वारा विनिदिष्ट किया जाए ।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता, केवल प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखरेख म स्वतंत्र रूप से विनिदिष्ट औषध विहित कर सकेगा, किंतु प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखरेख से भिन्न मामलां म वह केवल धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियां के पयवेक्षणीय औषध विहित कर सकेगा ।

व्□क्ति□□ी □□ □□□□□ □□□□ □□ ि□□ अनुज्ञप्ति प्रा□ □□□□ □□ राष्ट्री□ □□□स्□□ □□ □□ज□ □□□स्□□ □ □□□□□□ी□□ ि□□ □□□□ □□ि□□□□ □□ □□□□ □□ि□□ □□□ी □□ि□□□□

33. (1) ि□□□ □□□व्□क्ति □□, □□□□□□□□ 15 के अधीन आयोजित राष्ट्रीय निगम □□क्षा □त्□ण की है, चिकित्सा व्□वसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति □ी □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□, □□□से□ि□, राष्ट्री□ □□□स्□□ □□ □□ज□ □□□स्□□ □ □□□□□□ी□□ □ी □□□□ :

□□□□□□□ि□□ व्□क्ति □□, जिसे इस अधिनियम के प्रवतन म आने के पू□ □□ □□□ 15 □ी □□□□□ (3) □□□□□□ □ष्ट्रीय निगम परीक्षा के प्रवतन म आने के पहले भारतीय □□विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 □□□□□□ □□□□□□ ि□ि□त□□ □□□स्□□ □ □□□स्ट्री□□ ि□□ □□□ □□इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री□□ ि□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ अधिनियम के अधीन रखे गए राष्ट्री□ □□□स्□□ □ □□□□□□ी□□ ि□□ □□□□□ □ 1956 □□ 102

(2) □□□ि□□□ व्□क्ति □□, जिसने भारत से बाहर किसी देश म स्थापित किसी □□ि□ज्ञा□ □स्□ से कोई आयुविज्ञान अहता अभिप्राप्त की है और वह उस देश म चिकित्सा व्□□□□□ □□रू□ □ □□न्□ताप्राप्त □□इस अधिनियम के प्रारंभ होने और धारा 15 की □□□□□ (3) □□□□□□ □ष्ट्री□ ि□□□ □□क्षा □□व्□वहृत होने के पश्चात् राष्ट्री□ □□□स्□□ □ तब तक नामावलीगत नहीं किया जाएगा, □□ □□ □□ □ष्ट्रीय निगम परीक्षा म अहित नहीं □□ □□□□ □□

(3) □□ □□□ □□□ व्□क्ति, □□□□□ □□□, □□□से□ि□, □□ज□ □□□स्□□ □□ □ष्ट्री□ □□□स्□□ □ प्रविष्ट □□विज्ञान या लोक स्वास्थ्य □□ □□ि□ज्ञ□ □, □□, □□□से□ि□, □□□□

34 □□ □□□ 35 □□□□□ □□□□प्रा□ आयुर्विज्ञान अहता है, □□□ □□□□, □□□□□ □□ प्र□□□□ □□□ □□□ □□□ अहता अभिप्राप्त □□□□ □□ तो वह ऐसी रीति म, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□ □□□, □□□स्□□, □□□ □□□□□ □□ □□ष्ट्री□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□, □□□मा या अहता को प्रविष्ट □□□□□□ □□□□□ □□□□ □

34. (1) □□□ □□□□□□ से भिन्न, □□, □□□स्□□, □□□ □□□□□ □□ □□ष्ट्री□ □□□□र म नामावलीगत है, □□□ □□□,-- □□□□□ □□ □□□ □

(क) अर्हित चिकित्सा □□वसायी के रूप म चिकित्सा □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ ;

(□) □□□□□□ □□ □□□ □□□□□क के रूप म कोई पद या कोई अन्य □□□ □□, □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□, जो किसी चिकित्सक या सजन द्वारा धारित किए □□□□□□□ □□, □□□□ □□□□□□ ;

(ग) किसी ऐसे चिकित्सा प्रमाणपत्र या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य □□□ प्र□□□त्र □□ □□□□□ □□□□□ □धिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा, □□□□□ किसी विधि द्वारा सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा □□□□□ द□□□ □□□□क्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है ;

1872 □□ 1 (घ) आयुर्विज्ञान से संबंधित किसी मामले म भारतीय साक्ष्य □□□□□, 1872 □□ □□□ 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप म किसी मृत्यु समीक्षा म या किसी □□यालय म साक्ष्य □□□□ □□□□□ □□□□□ :

□□□□□□□, □□□ □□ □, □□ □□□ □□ □□□, □□□□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□क को सूची प्रस्तु□ □□□□ :

परंतु यह और कि किसी ऐसे विदेशी नागरिक को, □□ □□ □□ □ □□ □□□□□ □□वसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार चिकित्सा □□वसायी के रूप म अपने देश म नामावलीगत है, भारत म ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति म, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□ □□□, □□□□□ □□□स्ट्री□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □

(2) □□□ □□□□ □□, जो इस धारा के उपबंधों म से किसी उपबंध का उल्लं□□ □□□□, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वष तक की हो सकेगी या □□□□□□□□□ □□ □□□ □□□ रु□□ □□ □□ □□ □□□□, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।

अध्याय 6

आयुर्विज्ञान अहताओं को मान्यता

35. (1) भारत म के किसी विश्ववि□द□□□ □□ □□□□□□ □□□□ द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अहता को, □□□ रीति म, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □□ □□□, □□□स्□□, स्□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड या स्ना□□□□र आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□ द□□□ □□□□द□ किया जाएगा और उसे अनुरक्षित किया जाएगा तथा ऐसी आयुर्विज्ञान अहता, □□ □□□□□ के प्रयोजन के लिए मान्य□प्रा□ आयुर्विज्ञान अहता होगी । □□□□ □ □□ □□□विद्यालयों या आयुर्विज्□ □□□□□ द□□□ □□□□ आयुर्विज्ञान □□□□□ □□ □□□□□ □

(2) □□□□ □ □□ □□□ □□□ विश्वविद्यालय या □□□ आयुर्विज्ञान संस्था, □□ □□□

स□□□□□□ □□ स□□□□□त□ □□ अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान अहता अनुदत्त □□□□ □□,□□, यथास्थिति, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड □□ स□□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड द□□□ □□□क्षित □□□ □ □□र्म□ि□□ □□ि□□,□□□ □□□□ □□ मान्यता अनुदत्त □□□□□□ि□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □

(3) □□□स्थि□ि, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बो□ □□ स□□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□, □□ □□□ □ी □□ि□ □□□□□, □□□ □ि□ □, □□ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट को □□□, किसी आयुर्विज्ञान अहता को □न्□□□ □□□त□ □□□□□□ि□□ ि□□ □□ □□□□ □ी परीक्षा □□□□ □

(4) □□□,□□□स्थि□ि, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□ □□ स□□□□□त□□ □ ि□ज्ञा□ शिक्षा बोड ि□□□ आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □न्□□□ □□□त□ करने का विनिश्चय करता है, □□□ □□ □□□ आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □□□□द्□□□ □□□क्षित □□□ □ □□र्म□ि□□ □□□□ □□ □□□ □न्□□□ □□प्र□□□ □□□□ी तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) □□□,□□□स्थि□ि, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□ □□ स□□□□□त□□ □ ि□ज्ञा□ शिक्षा बोड ि□□□ आयुर्विज्ञान □न्□□□ □□ □□□त□ □ □□□□□□ ि□श्□□ □□□□ □□□□□ □□ि□□ विश्वविदयालय या आयुर्विज्ञान □स□, □□□ □ि□ □, □□ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, ऐसे विनिश्चय को सं□□□□ □□□□ ि□□ □□□□□ □न्□□□ □□□त□ □□□□□□ि□□ □□□□ □□ □□□□ प्रस्तु□ □□ □□□□ □

(6) □□□□, □□ □□□ □ी □□ि□ □□□□□ □□□□□ (5) □□□□□ प्र□ष्□ □□□□ □ी परीक्षा □□□□ □□ □ि□ □□ □□ ि□ि□श्□□ □□□□ □□ि□ □□□ आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □न्□□□ □□□त□ □□ □ी □□□ □□ □□, यथास्थिति, स□□□□□□ □ □ि□ज्ञान शिक्षा बोड □□ स□□□□□त□□ आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड □□, □□□ □ि□ □, □□ विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट को जाए, उस बोड द्वारा अनुरक्षित सूची म ऐसी आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □□र्म□ि□□ □□□□□□ ि□□□ □□□□□□ □

(7) □□□□□□□, आयुर्विज्ञान □□□□ □□ □न्□□□ □□□त□ न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि □□□□□ □□□ विनिश्चय □□□□□ □□□□ □□□□ □□,□□□ □□ि□□ विश्वविदयालय या आयुर्विज्ञान □स□, यथास्थिति, □□□विनिश्चय को □□□□□ □□ □□□ ि□□ □□□□□ या विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत हो जाने □□ कद्रीय सरकार को □□□ □□□□ प्रस्तु□ □□ □□□□ □

(8) □□□ □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□,□जो इस अधिनियम के प्र□□ □ी □□□ि□ □□□□□□ मान्यता प्राप्त ह □□ □□ □□□□□ आयुर्विज्ञान □ि□□द □ि□ि□□□, 1956 को पहली अनुसूची □□ □□□□ी □□□□□ □□□ाग 1 म सम्मिलित ह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए □न्□□प्र□ष्□ आयुर्विज्ञान □□□□□□ि□□ □□ उन्ह, □□□स्थि□ि, स□तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा □□□ □□ स□□□□□त□र आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड द□□□ □□□ □ि□ □, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट □ी □□□, सूचीबदध और अनुरक्षित किया जाएगा । 1956 □□ 102

□□□□ □□ □□□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा □□□त□ आयुर्विज्ञान □□□□□ □□ □न्□□□ □

36. (1) □□□□□□□ □□□□□□ ि□□□ □□ □□ □□□ प्र□ि□□□□, □□□□□□ □□ □ी ि□ि□ द्□□□, □□ □□ □ आयुर्विज्ञान □□□□ □□□□□□ी □न्□□□ न्□स□ □ी □□ □□, □□□□ □□, □□□□ □ □□□ आयुर्विज्ञान □□□□ □□□□ □□ □न्□□□ □□□त□ □□□□□□ि□□ □□□ □□□□ □□□□ □□,□□□□□□□ □□□□त□□□□ □□□□□ □□□□□□, □□ □□ □□श्□□ □□□□,□□ आयुर्विज्ञान अहता □□ □न्□□□ □□□त□ □□ □□□□ □□ □□□त□ □□□□□□□□□ □□ □□□□ :

[illegible] प्रा[illegible]ी [illegible] [illegible]के[illegible]क[illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible] ।

(2) [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible], [illegible] (1) [illegible] द[illegible] [illegible] [illegible]यम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible], आयोग द्वारा ऐसी रीति म, जो विनियमों द[illegible] विनिर्दिष्ट [illegible]ी [illegible], [illegible]द[illegible] [illegible]क्षि[illegible] [illegible] ।

(3) [illegible] (1) [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] [illegible]ता है, संबंद्ध प्राधिकारी कद्रीय सरकार को, [illegible]विनिश्चय के विरुद्ध, [illegible] प्रस्तु[illegible] [illegible] ।

1956 [illegible] 102 (4) [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible], जो इस अधिनियम के प्र[illegible] [illegible]पूव मान्य[illegible]प्राप्त ह [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की दूसरी [illegible] 2 म सम्मिलत ह, [illegible] [illegible]प्र[illegible] [illegible] लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान [illegible] उन्ह [illegible] द[illegible], [illegible]ति म, [illegible] विनियमों द्वारा वि[illegible] [illegible] जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा ।

37. (1) [illegible] किसी कानूनी या अन्य निकाय द्वारा [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] जो अनुसूची म सूचीबद्ध प्रवर्गो [illegible], इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त [illegible]ज्ञ[illegible] [illegible] ।

(2) मुख्य विशिष्ट अहताओं और अति विशिष्ट अहताओं म राष्ट्रीय बोड का डिप्लोमाधारी, जब वह सहबद्ध चिकित्सालय वाले या पांच सौ या अधिक बिस्तरों की संख्या के चिकित्सालय वाली आयुर्विज्ञान संस्था म राष्ट्रीय परीक्षा बोड द्वारा अनुदत्त [illegible], सभी प्रकार से इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त तत्स्थानी स्नातकोत्तर अहता और अति विशिष्ट अहता के समतुल्य होगा, किंतु अन्य सभी मामलों म किसी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय म एक वष की अतिरिक्त अवधि के लिए ज्येष्ठ रेजिडसी ऐसी अहता के [illegible] ।

(3) [illegible]न्द्री[illegible], [illegible] और इस अधिनियम के उद्देश्यों को [illegible], [illegible] द[illegible], [illegible] कानूनी या अन्य निकाय द्वारा [illegible] आयुर्विज्ञान अहता[illegible]न्हीं प्रवर्गों [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] कानूनी या अन्य निकाय द्वारा [illegible] आयुर्विज्ञान अहता[illegible] इस अधिनियम के प्रयोजनों [illegible] लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहता[illegible]होंगी या नहीं रहगी ।

38. (1) [illegible] 26 [illegible] निधारण और रेटिंग [illegible] से रिपोट प्राप्त [illegible] --

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान [illegible] द[illegible] [illegible] पाठ्यक्रम और [illegible] परीक्षा या उसके द्वारा ली गई परीक्षा म अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, [illegible], स्[illegible]तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड [illegible] आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड द्वारा विनिर्दिष्ट [illegible] अनुरूप नहीं ह ; [illegible]

(ख) [illegible], स्[illegible]तकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड [illegible] [illegible]ज्ञ[illegible]

[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] मान्यताप्राप्त [illegible]

[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] प्रदत्त आयुर्विज्ञान अहता की [illegible] ।

शिक्षा बोड द[illegible] आयुर्विज्ञान संस्था म [illegible], [illegible] शिक्षा [illegible] क[illegible] [illegible] विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान [illegible] द[illegible] नहीं कि[illegible] और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान [illegible] विनिर्दिष्ट न्यूनतम [illegible] बनाए रखने के लिए आवश्यक संशोधनकारी कारवाई [illegible] (2) [illegible] :

[illegible], किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई आयुर्विज्ञान अहता को अनुदत्त मान्यता को स्वप्रेरणा से वापस [illegible] करने से पहले धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंध के अनुसार आर्थिक शास्ति अधिरोपित करेगा ।

(2) [illegible] वह ठीक समझे और सम्बद्ध राज्य सरकार तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामश [illegible] के पश्चात् इस निष्कष पर पहुंचेगा कि किसी आयुर्विज्ञान अह[illegible] [illegible], [illegible] द[illegible], ऐसी आयुर्विज्ञान अहता को अनुदत्त [illegible], यथास्थिति, स्नातकपूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड को, उस बोड द्वारा अनुरक्षित सूची म संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टि म इस प्रभाव का संशोधन करने का निदेश देगा कि ऐसी आयुर्विज्ञान अहता को अनुदत्त मान्यता उस आदेश म विनिर्दिष्ट [illegible]

[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] द[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible]

39. [illegible] बाहर किसी देश म [illegible] प्राधिकारी के सत्यापन के पश्चात्, [illegible] ऐसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहता को, [illegible] द[illegible] [illegible] नहीं दी जानी चाहिए, [illegible] द[illegible], [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित [illegible]

[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible]

40. [illegible], राजपत्र म प्रकाशित आदेश द[illegible], यह निदेश दे सकेगा कि [illegible] किसी देश म की किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा [illegible] आयुर्विज्ञान अहता, [illegible] विनिर्दिष्ट [illegible], [illegible] अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अहता [illegible] :

परंतु ऐसी अहता रखने वाले किसी [illegible] द[illegible] किया जाने वाला चिकित्सा [illegible], [illegible] ने राष्ट्रीय निगम परीक्षा अहित की है ।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केन्द्रीय सरकार द[illegible]

41. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद की विधि द्वारा [illegible], जैसा केन्द्रीय सरकार ठीक समझे ।

42. (1) "राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान [illegible]" [illegible] की निधि का गठन किया जाएगा, [illegible] का भागरूप होगी और उसमें निम्नलिखित से संबंधित राशियां जमा [illegible],--

(क) [illegible] बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्ति [illegible] ;

(ख) [illegible] उसके द्वारा विनिश्चि[illegible] प्राप्त सभी [illegible]

(2) [illegible],--

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, [illegible] प्रधान और सदस्यों [illegible] संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक [illegible] बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों [illegible] ;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्व[illegible] बोर्डों के कृत्यों [illegible],

[illegible] संदाय के लिए किया जाएगा ।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान [illegible]

43. (1) [illegible] वार्षिक [illegible]

(2) [illegible], जो उसके द्वारा विहित किए जाएं [illegible]

(3) [illegible] नियंत्रक-[illegible] संपरीक्षा [illegible] नियुक्त [illegible] व्यक्ति [illegible] अभिलेखों, बहियों, [illegible] कार्यालयों [illegible] निरीक्षण [illegible]

(4) [illegible] इस निमित्त [illegible] व्यक्ति [illegible] संपरीक्षा [illegible] प्रत्येक [illegible] केंद्रीय [illegible] उन्हें [illegible]

[illegible]

44. (1) [illegible] विहित [illegible] केन्द्रीय सरकार निदेश [illegible] आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी [illegible] के संबंध में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट [illegible], [illegible] केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-[illegible], प्रस्तुत करेगा ।

विवरणियां [illegible] केन्द्रीय सरकार [illegible]

(2) [illegible], [illegible] वार्षिक रिपोर्ट, [illegible] क्रियाकलापों का [illegible] और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित [illegible]

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा, [illegible] धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की [illegible], प्राप्त [illegible]

अध्याय 8

प्रकीर्ण

[illegible] कद्रीय [illegible]

45. (1) [illegible] पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, [illegible] कृत्यों [illegible] निर्वहन म [illegible] ऐसे प्रश्नों [illegible], [illegible] उन्ह [illegible] पर लिखित म दिए जाएं :

[illegible] स्वशासी बोर्ड को कोई निदेश दिए जाने के [illegible]

(2) [illegible] इस बारे म कद्रीय सरकार का [illegible]

[illegible] कद्रीय [illegible]

46. [illegible] सभी या किन्हीं [illegible] क्रियान्वित करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी, [illegible]

[illegible] योग द्वारा दी [illegible]

47. (1) [illegible], कद्रीय सरकार को, [illegible] का प्रतिलिपियां, अपने लेखाओं की संक्षिप्ति [illegible]

(2) [illegible] (1) [illegible], कार्यवृत्तों, [illegible] जानकारी ऐसी रीति म प्रकाशित कर सकेगी, [illegible]

विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान [illegible]

48. [illegible] विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान [illegible] संप्रदर्शित करेगी, [illegible] स्वशासी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाए ।

आयुर्विज्ञान [illegible]

49. (1) [illegible] अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले किसी आयुर्विज्ञान संस्था [illegible] जारी रखेगा तथा वह ऐसी डिग्री, [illegible] प्रमाणपत्र के लिए [illegible] ऐसे छात्र के लिए वैसा ही शिक्षण और परीक्षा उपलब्ध [illegible] पहले विद्यमान था और ऐसे छात्र को इस अधिनियम के अधीन अपना पाठ्यक्रमानुसार [illegible] उसे इस अधिनियम के अधीन [illegible], डिप्लोमा या प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

(2) [illegible] अधिनियम [illegible], जहां किसी आयुर्विज्ञान

[illegible] जब तक कि ऐसे सभी अभ्य[illegible], [illegible]ने उस आयुर्विज्ञान संस्था [illegible] करवाया जाना अपेक्षित [illegible]

[illegible], [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] केंद्रीय परिषद [illegible] अपनी चिकित्सा पद्धतियों के [illegible]

50. (1) [illegible] चिकित्सा पद्धति [illegible] में वृद्धि के लिए, [illegible], केंद्रीय [illegible] आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद [illegible]

(2) [illegible] बैठक के लिए कायसूची, [illegible], केंद्रीय [illegible] आयुर्विज्ञान केंद्रीय परिषद के बीच पारस्परि[illegible] उनमें से प्रत्येक के द्वारा पृथक् रूप से [illegible]

(3) [illegible] (1) में निर्दिष्ट [illegible] मत द्वारा ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक मापदंडों या कायक्रमों के अनुमोदन के संबंध में विनिश्च[illegible], [illegible] सभी चिकित्सा [illegible] पाठ्यक्रम और स्ना[illegible]पित किया जा सकेगा और जिनसे एकाधिक चिकित्सा [illegible]

[illegible] क्षेत्रों [illegible]

51. प्रत्येक राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख का पता लगाने या उसके संवधन के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों की क्षमता वृद्धि के लिए [illegible]

[illegible] सदस्यों [illegible] अधिकारियों का [illegible]

52. [illegible]ध्यक्ष, [illegible], अधिकारियों और अन्य कमचारियों तथा स्व[illegible], [illegible] तथा अधिकारियों और अन्य कमचारियों के [illegible], जब वे इस अधिनियम के किन्हीं [illegible]

1860 [illegible] 45 [illegible]यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 [illegible]

[illegible]

53. [illegible] नियमों [illegible] विनियमों [illegible] विधिक कायवाही केंद्रीय [illegible] चिकित्सा परिषद या उसकी किसी समिति के या सरकार [illegible] अधिकारी [illegible]

[illegible]

54. [illegible], इस अधिनियम के अधीन दंडनी[illegible] चार और चिकित्सक रजिस्ट्री[illegible]

□□ □□ज□ चिकित्सा परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित रिपोर्ट □□ □□□□□□ ि□□□□ □□ि□□□□□ □

केन्द्रीय सरकार □ी □□□□ □□ अतिष्ठित करने की शक्ति ।

55. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि--

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों □□□□□□ □□□□कृत्यों का निवहन करने □ □□□□ □□; □□

(□) □□□□, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी निदेश □□ □□□□ □□□□म या इस अधिनियम के उपबंधों □□□□□□ □□□□कृत्यों के निवहन म □□□-बार व्यतिक्रम कर रहा □□

□□ □न्द्री□ □□□□□, राजपत्र म अधिसूचना द्वारा, □□ □□□ □□□□ि□□ □ी □□□□ □□ि□ □□ ि□□, जितनी अधिसूचना म विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अतिष्ठित कर सकेगी :

□□□□□न्द्री□ □□□□□, □□ □□□□□ □□□□□□ □□□ अधिसूचना जारी करने से पूव, आयोग को यह कारण दर्शित करने के लिए □□वि□□क□ □□□□ प्र□□□ □□□□ ि□ □□□ अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और □□ आयोग के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, □ि□ □□□ ो, ि□□□□ □□□□ □

(2) □□□□□□ (1) □□□□□□ □□□□ □□□ि□ि□□ □□□□□□□□ ि□□□□□□ □□प्र□□□□ □□,--

(□) □□□□ □□□□□ □□स्□, अतिष्ठित □ी □□□ि□ □□उस हैसियत म अपना □□ ि□क□ □□ □□□;

(□) □□□ सभी शक्तियां, कृत्य और कतव्य, □□□□□ इस अधिनियम के उपबंधों □□द्□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ द्□□□ □□ □सकी ओर से प्रयोग या निवहन किया □□ □□□□□, □□□□□□ (3) □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निवहन ि□□□ □□□□□ □□□ □न्द्री□ □□□□□ द्वारा नि□□ ि□□□ □□□ ;

(ग) आयोग के स्वामित्वा□□□ □□ ि□□त्रा□धीन सभी संपत्ति, □□□□□□ (3) □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □न्द्री□ □□□□□ □ निहित हो □□□□□ □

(3) □न्द्री□ □□□□□, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना म विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर,--

(□) □ि□□ि□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□ि□□ □ी □□□□ □□ □□ि□ □□ि□□ □□□ □□□□□, □□□□□ □□ □□श□□ □□□□; □□

(□) □□□□ □□, □□ ि□□□□□ि□□ि□ □□□□, □□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□ □ □□□□□स्ी □□, □□न्ि□□□□□□□ (2) □□□□ (□) □□□□□□ □□□□ □□ ि□क□ □□ ि□□□ □□, ि□युक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा :

□□□□□न्द्री□ □□□□□, □□□□□□ (1) □□□□□□ □□□□: विनिर्दिष्ट □□ □□ □□□□□□ □□□□□□ ि□स्□ि□□ अतिष्ठित काल की समाप्ति के पूव किसी समय, इस उपधारा के □□□ (□) □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □

(4) □न्द्री□ □□□□□, □□□□□□ (1) □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ को गई किसी कारवाई को तथा □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ परिस्थितियों को □□□ □□□□□, □□घ्र□□ □□□□ □□, □□द □□□□□□ सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

56. (1) □न्द्री□ □□□□□, □□ □□□□□□ □□प्र□□□□□ □□ □□□□न्□□ □□□□□□□□□□, □□□□□□□ द□□□□, □□ प्र□□□□ □□□श□□□□□□□ □□□ □□□□ □ — □□□□ □□□□□ को शक्ति ।

(2) □□शिष्टतया और पूवगामी शक्ति को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, □□□नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अथात् :--

(□) □□□□ 4 □□ □□□□□□ (4) □□ □□ (□) □□ □□□□ आयुर्विज्ञान सलाहकार □□□द □ □□ज्□ □□ संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशितियों म से चक्रानुक्रम के □□□□ पर आयोग के तीन सदस्यों □□ नियुक्ति को रीति ;

(□) □□□□ 4 □□ □□□□□□ (4) □□□□ (□) □□□□□□ □□□□ □□□□□ सदस्यों □□ □□□न्□ □□ □□□ ;

(□) □□□□ 5 □□ □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ □न्द्री□ □□□□□ द□□□□ □□ □□□□ज्ञ □□ नामनिर्दिष्ट □□□□□□ □□□ ;

(घ) धारा 6 को उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और □ते□□□□ □□□□ □□□ के अन्य निबंधन और □□ ;

(□) धारा 6 को उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति ;

(□) □□□□ 8 □□ □□□□□□ (2) □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ द□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ ;

(□) □□□□ 8 □□ □□□□□□ (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों □□ □न्□ कमचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा □□□□ □□□ □□□न्□ □□□□□ □□ □□ ;

(□) धारा 10 को उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन आयोग को अन्य शक्ति□□ □□ □त□ ;

(□) □□□□ 11 □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ सदस्य द्वारा धारित □□ □□□□ वाली आयुर्विज्ञान अहता और □□□□ ;

(□) □□□□ 17 □□ □□□□□□ (5) □□□□□□ अंशकालिक सदस्यों को चुने जाने को रीति ;

(□) □□□□ 19 □□ □□□□□□ (2) □□□□□□ □□□□ स□□□□□ □□□ □□प्र□□□ □□ □□स्□□ □□ □□□ □□□ □□ □ते□□□□ □□□□ □□□ □□न्□ □□□□□ □□ □□ □□□ उसके परंतुक के अधीन अंशकालिक सदस्य को संदेय भत्ते ;

(□) □□□□ 29 □□□□ (□) □□□□□□ □न्□ □□□□ ;

(□) □□□□ 33 □□ □□□□□□ (1) □□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ वृत्ति□□ □□ □□□ प्रस्तुत करने को रीति ;

(□) □□□□ 42 को उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा □□□□□ □□□□ □□□□□□ प्ररूप ;

(□) □□ □□□, □□□□□□□□□ □□ □□ प्ररू□ □□□ □□□, □□□□ □□□□ द□□□□

f□□□□ □□ f□□□□ प्रस□□ f□□ □□□□□□□ f□□□ □□□f□□□ के संबंध म विशिष्टियां, □□□□ी □□□□ 43 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार □□क्षा □□□;

(□) □□□□ 43 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और □□□ ;

(□) □□□ □न्□ f□□□, जिसके संबंध म नियमों द्वारा उपबंध किए जा सकगे ।

विनियम बनाने □ी □□वें□ □

57. (1) □□□□, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, □□ □f□f□□□ □□ □□□□ी □□ □□□□न्□□ □□□□□□ीf□□, □□ □f□f□□□ और उसके अधीन बनाए गए नियमों □□संगत विनियम बना □□□□ □

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्□□□□□ पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, □□□ f□नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकगे, अर्थात् :--

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निवहन किए □□□□□□□□□त्□ ;

(□) □□ प्रक्रिया, □□□□□□□□□र धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञ और □ति□ f□□क□ f□□ □□ □□गे और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या ;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों □ □□□□□ □ी □□□□ वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति □□ □□;

(□) □□□ क्□ीलटी □□ स्□□□□□, □□ □□□□ 10 □ी □□□□□□ (1) □□ □□ (□) □□ □□□□ आयुर्विज्□□ f□क्षा □ □□□□ □□□□□□□□;

(□) □□□□ 10 □ी □□□□□□ (1) □□ □□ (□) के अधीन आयुर्विज्ञान □स्□□□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□ी □□ चिकित्सा वृत्तिकों को f□f□□f□□ □□□□□ी □ीf□ ;

(□) □□□□ 10 □ी □□□□□□ (1) □□ □□ (□) □□ □□□□ □□□□, स्□□□□□ □□□ी □□ □□ज्□ f□f□त्□□ परिषदों के काय□□□ □ी □ीf□ ;

(□) □□□□ 13 □ी □□□□□□ (3) □□□□□□ आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकों म अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति □□ □□;

(□) □न्□ □□□□,□□□□ □□ □□ □ीf□, □□□□ □□□□ 14 □ी □□□□□□ (2) □□ अधीन राष्ट्रीय पात्रता-□□-प्रवेश परीक्षा □□ □□□□□ f□□□ □□□□□ ;

(□) □□□□ 14 □ी □□□□□□ (3) □□□□□□ स्□□□□□□ □□ स्□□□□त्त□ आयुर्विज्ञान शिक्षा □ प्र□□ □□f□□ □f□f□□ प्राf□□□ी द्□□□ □□□न्□ □□□f□f□□ □□□□□ी □ीf□ ;

(□) □□□□ 15 □ी □□□□□□ (2) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा □□ □□□□□ □□□□ □□f□□ □भिहित प्राधिकारी और □□□□□□□□□ □ी रीति ;

(□) वह रीति जिसम विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता वाला कोई व्यक्ति धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा अर्हित करेगा ;

(ठ) वह रीति जिसम धारा 15 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर बोर्ड विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा ;

(□) □□□□ 15 □ी □□□□□□ (7) □□ □□□□ स्□□□□त्□□ बोर्ड विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा म प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वा□ □□□न्□ □□□f□f□□ □□□□□ी □ीf□ ;

(□) □□ रीति, जिसम धारा 21 के अधीन आयोग द्वारा विशेषज्ञ, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कमचारी स्□□□□□ □□□ि □□ □□□□ब □□□□□□□□□;

(□) □□□□ 24 □ी □□□□□□ (1) □□ □□ (□) □□ □□□□ स्□□□□□□ स्□□ □□ पाठ्यक्रम ;

(□) धारा 24 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्राथमिक आयुर्विज्ञान, □□□□ि□□ आयुर्विज्ञान □□ □□□म्□□ आयुर्विज्ञान □□ि□□ □□ठ्□क्र□ ;

(□) □□□□ 24 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ आयुर्विज्ञान □स्□□□ □द्□□□ स्□□□□□□ □□ठ्□क्र□ि □ ि□क्ष□ □ी □ि□ ;

(□) □□□□ 24 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ आयुर्विज्ञान □स्□□□□□ स्□□□□□□ छात्रों के लिए पाठ्यक्रमों □□ □□क्ष□□□□□□□□□ □□□न्□□□□ □□क्ष□□ □□ □□□□ ;

(□) □□□□ 24 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) के अधीन आयुर्विज्ञान □स्□□□□□ स्□□□□□□ छात्रों □□स्□□ □ी □□□□□□□, संकाय तथा शिक्षा की क्□ि□लिटी के लिए स्□□□□□ □□ □□□□ ;

(□) □□□□ 25 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ स्□□□□□त्□ स्□□ □□ □ि□ ि□ि□ष्□ स्□□ □□ आयुर्विज्ञान शिक्षा □□ स्□□□□□ ;

(□) □□□□ 25 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ स्नातकोत्त□ स्□□ □□ □ि□ ि□ि□ष्□ स्तर पर पाठ्यक्रम ;

(□) □□□□ 25 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ □□ि□ज्□□ □स्□□□ □द्□□□ स्□□□□त्□□ □□ अति विशिष्ट पाठ्यक्रमों के शिक्षण □ी □ि□ ;

(□) □□□□ 25 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं □ स्□□□□त्□□ □□ अति विशिष्ट □□ठ्□क्र□ि □□ □□क्ष□□□□□□□□□ □□ि□□ न्□□□□ □□क्ष□□□□□ स्□□□□□ ;

(□) □□□□ 25 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ स्□□□□त्□□ □□ □ि□ ि□ि□ष्□ आयुर्विज्ञान ि□क्ष□ □□□□□□□ □□ि□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं □ □ी □□□□□□□, □□□□ □□ ि□क्ष□ □ी क्□ि□लिटी के लिए स्त□□□□ □□ □□□□ ;

(□) □□□□ 26 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं □□ निधारण और रेटिंग की प्रक्रिया ;

(□) □□□□ 26 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ □□□ □स्□□□□□□निधारण और रेटिंग के लिए आयुर्विज्ञान संस्था□□□□ निरीक्षण □□□□□ी □ि□ ;

(□□) □□□□ 26 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्था□□□□ निधारण और रेटिंग करने की रीति □□□ ि□□□□□ □□ □ि□□ □□□□□□ि□□ स्□□त्र रेटिंग अभिकरणों □□ □□ि□□ करने की रीति ;

(□□) □□□□ 26 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं □□ ि□□□□□ □□ □ि□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ि□□ □□□□ □□ उपलब्ध कराने की रीति ;

(□□) □□□□ 26 □ी □□□□□□ (1) □□□□ (□) □□□□□□ न्□□□□ □□श्□□ स्□□□□□ि □□ □□□□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान संस्थाओं □□□□□□ □□□□□□ि□□ □□□□

विरुद्ध कि□ □□□□□□□□□□ ;

(□□) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक □□□□ □□ विनि□नि□□ □□□□□□ चिकित्सा शिष्टा□□□ □□ □□□□ □□□□की रीति ;

(□□) □□□□ 28 □ी □□□□□□ (2) □□□□□□ □□ आयुर्विज्ञान □□ि□द□□□□ □ी स्थापना के लिए या कोई नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए स्थानों की संख्या म वृद्धि हेतु स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, □□□□□□ □□□□ □ी □□□□ वाली फीस और स्कीम प्रस्तु□ □□□□□ी री□□ ;

(□□) □□□□ 28 □ी □□□□□□ (5) □□□□□□ स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग □□ □□□□ □□□□□ी री□□ ;

(□□) □□□क्षेत्र, □□□□□□□□ □ □□□□ 29 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□ □ी □□ □□□□ ;

(□□) □□□□ 30 □ी □□□□□□ (2) □□□□□□ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा □□वसायियों □□ वृत्तियों के वृत्तिक □□ वि□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ि□□ कि□□ □□□□ चिकित्सा □ि□□द द्वारा अनुशासनात्मक □□□□□ □□□□ की रीति □□□ वि□□□चार और चिकित्स□ रजिस्ट्री□□□ □□□ द□□□ □ि□□□□ □□ शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया ;

(□□) □□□□त□ □□ कि□□ □□□□ □□ □□□□ □□□, जो धारा 30 के स्पष्टीकरण के □□ (□) □□□□□□ □ति□ या शिष्टा□□□ संबंधी अवचार की कोटि म आ□□ □□;

(□□) □□□□ 31 □ी □□□□□□ (1) □□अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर म अंतर्विष्ट की □□□□ □□□ी □□□ विशिष्टियां ;

(□□) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर □□ प्ररूप, □□□□□ □□□□ इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और □□□□□□□क्ष□ □ी री□□ ;

(□□) □□ री□□, □□□□ धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर □ किसी नाम या अहता को जोड़ा □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ ;

(□□) ऐसा प्ररूप और रीति, जिसम □□□□ 31 □ी □□□□□□ (8) □□□□□□ सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता को रजिस्ट्रीकृत करने वाला राष्ट्रीय रजिस्टर अनुरक्षित कि□□ □□□□□ ;

(□□) □□□□ 32 □ी □□□□□□ (1) □□□□□□ चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने म मानदंड ;

(□□) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन विस्तार, परिस्थितियां और अवधि ;

(□□) □□□□ 35 की उपधारा (1) के अधीन भारत म किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान □स□□ द□□□ □□□त□ आयुर्विज्ञान □□□□□□□□ □□□□द□ □□ □□□□ □□□क्ष□ □□□□की रीति ;

(□□) □□□□ 35 □ी □□□□□□ (3) □□□□□□ □□□□□ प्र□□□ □□□□□□□□□□□ □ी परीक्षा □□□□□ी री□□ ;

(□□) □□□□ 35 □ी □□□□□□ (5) □□□□□□ □□□□□ प्र□□□ □□□□□□ि□□ □□□□ को अपील प्रस्तु□ □□□□□ी री□□ ;

(□□) □□□ 34 □ □□□□□ (6) □□□□ □□ द□□□ अनुरक्षित □□ □ आयुर्विज्ञान अहता को सम्मिलित करने □ □ि;

(□□) ऐसी आयुर्विज्ञान अहताओं को सूचीबद्ध करने और उनके अनुरक्षण की □ि, □□न्□ □□□ 35 □ □□□□□ (8) □□□□□ □□ □ि□ि□□□ □□प्रारंभ की तारीख □□□□□□□न्□□□ □□□त् □ □□ □□ □

58. □□ □ि□ि□□□ □□□□□ □□□□ □□ प्रत्येक ि□□□ □□ ि□ि□□□ □□ □□ □ □□ प्रत्□□ □ि□□□□□, □□□□□□□ जाने या जारी किए जाने □□ □श□□,□ □□□□□घ्र, □□द □□प्रत्ये□ □□□ □□□क्ष, □□ □□ □त्र □ □□, □□ □□□ ि□□ □ □□ि □□ि□□ □□□ □□□□/□□□ □□□□□, □□ □□ि□ □□ □त्र □ □□□□ □□ □□ □ि□□ □□क्रा□□ □त्रों □ □□ □□ □□□□ □□ □ि□ □□ □त्र □□□ □□वि□ आनुक्रमिक सत्रों □□□□ □□□ □□त्र □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□ ि□□□ □□ ि□ि□□□ □□ □ि□□□□□ □ □□ परिवतन □□□□□□ि□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ि □□ ि□□□ □□ विनियम □□□□□□□□□ □□□□ □□ि□ □□ □ि□□□□□ □□□ □□□की जानी चाहिए □□ □त्□श□□□□□ ि□□□ □□ ि□ि□□□ □□ □ि□□□□□, □□□से□ि, □□□परिवर्तित रू□ □ □ प्र□□□ □□□/□□□ □□ □□ निष्प्र□□□ □□ □□□□□/□□□□□, ि□□ि□□□ □□ ि□ि□□□ □□ □ि□□□□□ □□□□ प्र□□ □ि□ि□□ □□ निष्प्र□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ ि□□ □□ □ विधिमान्यता □□ प्रि□□□ प्र□□ □□ि□□□□ □

59. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने म कोई कठिनाई उत्पन्न □□□ □□□ □न्द्री□ □□□□□, राजपत्र म प्रकाशित □□□□□□ द□□□, □□ □□□□□श□□ प्र□□ □, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, □□ □ि□□□ □□ □□ □□ □□□ :

□□□□□□ ि□ □सा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, ि□□ □□□□□□□श□□,□□□□□घ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

60. (1) □□ □□□□ □□,□□ □न्द्री□ □□□□□, इस निमित्त नियत करे, □□□□□ आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 निरसित हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 3 □ □□□□□ (1) □□□□□ □ि□□ □□□□□ ि□ि□त्□ परिषद समाप्त हो जाएगी ।

1956 □□ 102

(2) उपधारा (1) म निर्दिष्ट अधिनिय□ □□ि□□□□ □□□□□□□ □□, □□□□--

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूव प्र□□□ □□ □□□□□□□□ □म्□□□रू□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ ि□□ □□□ □□; □□

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अजित, प्रोद्□□ □□ □□□□ ि□□□ □ि□□□□, ि□□□ि□□□□, बाध्यता या दायित्व □□; □□

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन की बाबत उपगत ि□□□ □□से□ □□ ; □□

(□) □□□□□वि□ किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, □□से□ □□

नियमों और ि□ि□□□ □□ □□द □□□क्ष □□□ □□□ □

□ि□□□□ □□ □□ □□□□ □ □□□ि□ □

ि□□□□ □□ □□□□□ि□ □

संबंध म किसी [illegible],

[illegible] प्रभाव नहीं [illegible] प्र[illegible], [illegible] प्र[illegible] [illegible], [illegible]

(3) [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] अध्यक्ष के रूप म नियुक्त व्यक्ति और उस प[illegible] अन्य कमचारी के रूप म नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यक्ति तथा [illegible] उस रूप म पद धारण करने वाले प्रत्ये[illegible]-अपना पद रिक्त [illegible] ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य अपनी पदावधि के या सेवा संविदा के समय पूव पयवसान के [illegible] के प्रतिकर [illegible] :

[illegible], [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद को [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद म प्रतिनियुक्ति [illegible] पर नियुक्त [illegible], यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग को प्रत्यावतित हो जाएगा :

[illegible] अधिकारी या अन्य कमचारी, [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा नियमित या [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद का अधिकारी या कमचारी नहीं रहेगा और भारतीय आयुर्विज्ञान [illegible] प्र[illegible] :

[illegible] आयुर्विज्ञान परिषद का ऐसा अधिकारी या कमचारी, [illegible] के लिए ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, [illegible], [illegible] विहित [illegible]

(4) [illegible]क्त अधिनियमित [illegible], [illegible], 1956 [illegible], [illegible] अनुज्ञप्ति, [illegible] कोई रजिस्ट्रीकरण, न[illegible] आयुर्विज्ञान [illegible] प्र[illegible] प्रवेश क्षमता म [illegible], [illegible] आयुर्विज्ञान [illegible], [illegible] प्रारंभ की तारीख [illegible] प्रवृत्त [illegible], सभी प्रयोजनों के लिए उनके अवसान की [illegible] प्रवृत्त [illegible], [illegible] वे इस अधिनियम या [illegible] नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या अनुदत्त की [illegible] 1956 [illegible] 102

[illegible]

61. (1) [illegible], [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद [illegible] उत्तराधिकारी होगा [illegible] आयुर्विज्ञान परिषद [illegible] और दायित्व, [illegible]

(2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद [illegible], 1956 [illegible], [illegible] भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 [illegible] नियम और विनियम, [illegible] नियमों और [illegible] और अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट [illegible]ने तक प्रवृत्त और प्र[illegible] 1956 [illegible] 102

[illegible]

परंतु निरसन के अधीन अधिनियमित [illegible] विनियमों [illegible] इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की [illegible] प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक उसे इस अधिनियम [illegible] या कारवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है ।

□□□□□

(धारा 37 देखिए)

भारत म के कानूनी निकाय या अन्य निकाय द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अहताओं के प्रवर्गा का सूची

क्रम सं0	आयुर्विज्ञान अहताओं के प्रवग
1.	जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान □स□□, □□□□ द□□□ □□□त □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□
2.	□□□ □□□□□ आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा □□□त □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□
3.	स□□□□□त□□ आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ द□□□ □□□त □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□
4.	□□ष्ट्री□ □□□□□ स□□स्□ □□ तंत्रिका विज्ञान संस्था□, □□□□□ द□□□ □□□त □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□
5.	राष्ट्रीय पराक्षा बोड द्वारा □□□त □□□ आयुर्विज्ञान □□□□□□

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आयुर्विज्ञान शिक्षा किसी भी देश म अच्छा स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए महत्वपूण है । किसी भी राष्ट्र के कल्याण के लिए एक ऐसा नम्य और भली प्रकार से क्रियाशील विधायी ढांचा आवश्यक है, जिसम आयुर्विज्ञान शिक्षा अंतर्निहित हो । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956, जो कि पूव की दशाब्दियों □ आयुर्विज्ञान शिक्षा के विकास के लिए एक ठोस आधार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था, समय के साथ तालमेल नहीं रख सका । इस पद्धति म विभिन्न अड़चन पैदा हो गई ह जिनका आयुर्विज्ञान शिक्षा पर और विवक्षा द्वारा अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने □□ □□□ □ि□□□□ प्र□□ □□ □□□ □

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने अपनी बानवेवीं रिपोट म भारत म आयुर्विज्ञान शिक्षा का आलोचनात्मक निधा□□ □□□□ □ी प्रस्थापना की है । स्थायी समिति ने आयुर्विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा व□□□□ □ी विनियामक पद्धति का पुनगठन और सुधार करने के लिए और डा. रंजीत राय चौधरी की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ-समूह द्वारा, जिसका गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया था, सुझाए गए विनियामक ढांचे के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् म सुधार □□□□□ि□□ विनिश्चयात्मक और अनुकरणीय कारवाई करने की सिफारिश □ी □□□ स्थायी समिति ने चार स्वशासी बोर्डों का गठन करके कृत्यों के पृथक्करण का समथन किया है और विनियामकों की नियुक्ति निवाचन की बजाय चयन के माध्यम से करने और इस प्रयोजनाथ संसद् म एक नया व्यापक विधेयक लाने की सिफारिश की है क्योंकि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के विद्यमान उपबंध पुराने हो □□ □ □

3. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2009 की सिविल अपील सं0 4060, माडन डेन्टल कालेज एंड रिसच सेन्टर और अन्य *बनाम* मध्य प्रदेश राज्य और अन्य म □ारीख 2 मई, 2016 के अपने निणय म केन्द्रीय सरकार को राय चौधरी समिति की सिफारिशों पर विचार करने और समुचित कारवाई करने का निदेश दिया था । □□ सिफारिशों को ध्यान म रखते हुए, लोक सभा मं तारीख 29 दिसंबर, 2017 □□ □ाष्ट्री□ आयुर्विज्ञान □□□□ ि□□□□, 2017 □□स□ि□□ ि□□ □□□ □□ □□ □□ □त्□श□□□ परीक्षा और रिपोट के लिए विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया था । स्थायी समिति ने उक्त विधेयक पर अपनी 109वीं रिपोट प्रस्तुत की । विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार □□28 □□□, 2018 □□ लोक सभा म लंबित ि□□□□ के संबंध म आवश्यक शासकीय संशोधन प्रस्तुत किए । तथापि, विधेयक को संसद् के पश्चातवर्ती सत्रों □ ि□□□□ □□ □ि□□ किए जाने के लिए नहीं लिया जा सका और □□ 16□□□□□ □□□ □□ि□□□□ □□ व□□□□ □□ □□□ □

4. □द□□□ □ाष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने

का प्रस्ताव है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है–

(क) आयुर्विज्ञान शिक्षा, चिकित्सा वृत्ति और आयुर्विज्ञान संस्थाओं के विकास और उससे संबंधित सभी पहलुओं के लिए एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का और आयोग को सलाह देने तथा सिफारिश करने के लिए एक आयुर्विज्ञान □□□□□□ □ि□□द □□ □□□ □□□□□ि□□ ;

(ख) चार स्वशासी बोर्डों □□ □□□ □□□□□ि□□, □□□□□--

(i) स्नातक पूव स्तर पर आयुर्विज्ञान □िक्षा को विनियमित करने के □ि□□ □□ □□□□स□रमानों के अवधारण के लिए स्नातक पूव आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड ;

(ii) स्नातकोत्तर स्तर पर आयुर्विज्ञान शिक्षा को विनियमित करने के लिए और उसके स्तरमानों के अवधारण के लिए स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोड ;

(iii) आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निराक्षण करने तथा उनको रेटिंग और निधारण के लिए चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड ; □□

(iv) चिकित्सा व्यवसाय के आचरण को विनियमित करने और चिकित्सा व्यवसायियों तथा चिकित्सा वृत्तिकों के बीच चिकित्सा शिष्टाचार का संवधन करने के लिए और सभी अनुज्ञप्त चिकित्सा व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर को और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं का एक पृथक् राष्ट्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोड ;

(ग) स्नातक पूव और स्नातकोत्तर अतिविशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा म प्रवेश के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पात्र□-□□-प्रवेश पराक्षा आयोजित करने के लिए ;

(घ) चिकित्सा व्यवसायियों के रूप म चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए और राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर म □□□□□ □□ि□□ □□ □□□न्□ राष्ट्रीय निगम पराक्षा, जो स्नातकोत्तर व्यापक □िशिष्ट पाठ्यक्रमों म प्रवेश का आधार भी होगी, आयोजित करने के लिए ;

(□) नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए और आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अभिप्राप्त स्थानों को संख्या बढ़ाने के लिए अनुज्ञा हेतु ;

(□) भारत म और भारत से बाहर विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त चिकित्सा अहताओं को मान्यता के लिए और भारत म से ऐसे कानूनी और अन्य निकायों द्वारा, जो अनुसूची म सूचीबद्ध ह, अनुदत्त

चिकित्सा अहताओं को भी मान्यता के लिए ;

([illegible]) [illegible]ष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण के लिए जिसम किसी अनुज्ञप्तिधारी चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता, उसके द्वारा धारित मान्यताप्राप्त अहताएं अंतर्विष्ट होगी ;

(ज) सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के नाम से ज्ञात आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा वृत्ति के साथ संबद्ध व्यक्तियों को मध्य-स[illegible] करने हेतु सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए ;

(झ) सरकारी अनुदानों, फीस, शास्तियां और प्रभारों को जमा करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि गठित करने के लिए ;

([illegible]) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 को नि[illegible] यह उपबंधित करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को समाप्त करने के लिए है कि ऐसी समाप्ति पर,--

(i) उक्त परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बारे म यह समझा [illegible]

(ii) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी और कमचारी अपने मूल [illegible]

(iii) उक्त परिषद् द्वारा नियमित या संविदात्मक आधार [illegible] अधिकारी और अन्य कमचारी उक्त परिषद् के अधिकारी और [illegible]और वे नियोजन के समयपूव पयावसान के लिए कम से कम तीन मास के वेतन और भत्तों के ऐसे प्रतिकर के हकदार होंगे जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ;

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ; **हषवधन**

18 जुलाई, 2019

खंडों पर टिप्पण

खंड 1 प्रस्तावित अधिनियम के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध [illegible]

खंड 2 प्रस्तावित अधिनियम म प्रयोग किए गए विभिन्न पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करने [illegible]

खंड 3 प्रस्तावित अधिनियम म राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन के लिए [illegible]

खंड 4 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के गठन और संघटक सदस्यों को नियुक्ति और अहताओं का उपबंध करने के लिए है । आयोग एक पच्चीस सदस्यीय निकाय [illegible], [illegible] [illegible]क्ष, [illegible], बारह पदेन सदस्यों और [illegible] अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा । अंशकालिक सदस्यों म से तीन सदस्य [illegible] छह सदस्य चिकित्सा सलाहकार परिषद म राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितयों म से होंगे [illegible] चिकित्सा सलाहकार परिषद म को राज्य चिकित्सा परिषद के निवाचित सदस्य होंगे [illegible]

खंड 5 प्रस्तावित अधिनियम के अधीन आयोग के अध्यक्ष, [illegible] [illegible]-[illegible] के लिए खोजबीन समिति को संरचना का उपबंध करने के लिए है । समिति को अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा [illegible] आयुर्विज्ञान के क्षेत्र म अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ होंगे और एक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पृथक् पृष्ठभूमि का व्यक्ति होगा [illegible]ष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग म निर्वाचित एक आयुर्विज्ञान सदस्य इस समिति का भी सदस्य होगा । सचिव, [illegible], स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय [illegible] अन्य सदस्य [illegible]

खंड 6 आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पदावधि, वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए है । वे चार वष [illegible] विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं [illegible]

खंड 7 [illegible]क्ष [illegible]

खंड 8 [illegible], [illegible]ज्ञों, [illegible], अधिकारियों और अन्य [illegible]

खंड 9 [illegible], [illegible]क्ष, गणपूर्ति और उसको बैठकों से संबंधित अन्य आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है । आयोग प्रत्येक तिमाही म कम से कम एक [illegible]

खंड 10 आयोग को शक्ति[illegible] अंतगत निम्नलिखित ह :--

(क) आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान को उच्च क□ि□□ □□ □च□ मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और मार्गदर्शक सिद्धांतों को विरचना करना ;

(□) □□□, स्वायत्त बोर्डों और राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के कार्यकरण □□ □□न्□□□ □□□□ ;

(ग) आयुर्विज्ञान व्यवसाय के विनियमन के लिए नीति बनाना ;

(घ) प्रदत्त विधान और उप समितियां बनाने की शक्ति ।

खंड 11 आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् का गठन और उसकी संरचना का उपबंध करने के लिए है । यह प्रत्येक राज्य से एक नामनिर्दाशिती से मिलकर बनेगी, □□ ि□ राज्य स्वास्थ्य विश्वविद्यालय या उस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा, □□□□ अधीन अधिकतम आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैं । गृह मंत्रालय प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करेगा □ राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से एक □□□ि□ि□□ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का प्रत्येक सदस्य सलाहकार परिषद् का पदेन सदस्य होगा । अध्यक्ष, विश्वि□द□□□ □□□□ □□□, ि□□□, राष्ट्री□ ि□□□□ □□ प्रत्□यन परिषद् तथा भारतीय प्रौद्योगि□ □स□□, □□□□ प्र□□ □स□न और भारतीय विज्ञान संस्था□ □ □□□□ □□स□ □□ □□□□□स□ ि□□

खंड 12 आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के न्यूनतम मानकों पर आयोग को परामर्श देने के लिए आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् के कृत्यों □□ □□□□ □□□□ि□□ □□

खंड 13 आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकों और गणपूर्ति का उपबंध करने □ि□□ □□

खंड 14 □ि□ज्ञ□ □स□□□, स□□□ पूर्व और स्नातकोत्तर अति विशिष्□ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकसमान राष्ट्रीय पात्रता-□□-प्र□□ □िक्षा □□ स्नातकपूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 15 चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए और राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन करवाने हेतु राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा □□ □□□□ □रने के लिए है जो आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर व्यापक विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश का आधार भी होगी ।

खंड 16 आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन चार स्व□□□ □□ि □□ □□□ करने के लिए है । चार स्व□□□ □□ स□तकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, स□□□त्□□ आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, ि□ि□त्□ निर्धारण और रेटिंग बोर्ड तथा शिष्टा□□ □□ ि□ि□त्□क रजिस्ट्री□□□ □□ □ □

खंड 17 स□□□ □□ि □ि □□□□ □□ □□□□ □□□□ि□□ □□ □□ □ध्□क्ष □□ □□ पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालि□□ □□स□ि □□ि□□□□ □□□ □ आयुर्विज्ञान निर्धारण और रेटिंग बोर्ड तथा शिष्टाचार और आयुर्विज्ञान रजिस्ट्री□□□

□□□ □□ □□□□□ □□स□ □□□□पृष्ठभूमि से होगा ।

खंड 18 स□शासी बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति □□िं□□ □□□□□ □ि□ि□ □□ □□□□ □□□□□□ि□□ □□

खंड 19 स□शासी बोर्डों के अध्यक्ष □□ □□स□ि □ि □□□ि□, □□□ □□ □त□□ तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 20 अधिनियम के अधीन समनुदेशित कृत्यों का निवहन करने के लिए □□□ स□□□□ □□ि □□ □□□□□ प्र□□ □□□□□□ि□□ □□□□ द□□□ गठित विशेषज्ञों की सलाहकार समिति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 21 स□□□□ □□ि के कर्मचारिवृंद का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 22 स□शासी बोर्डों की बैठक का उपबंध करने के लिए है । प्रत्ये□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □

खंड 23 स□शासी बोर्डों की शक्तियों और प्रदत्त विधान की शक्तियों का उपबंध □□□□□□ि□□ □□

खंड 24 स□तकपूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की शक्तियों का उपबंध करने के ि□□ □□ जिसके अंतर्गत स्ना□□□□ स□र पर आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों का □□□□□□, स□तकपूर्व आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स□□□□ □□ि□□ □□□□□□ ि□द□□□, स□तकपूर्व स्तर पर आयुर्विज्ञान संस्थाओं को मान्यता अनुदत्त करना है ।

खंड 25 स□तकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड की □क्तियों और कृत्यों का उपबंध □□□□□□ ि□□ □□ जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर और अति विशेषज्ञता स्त□ □□ आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानकों का अवधारण, स□तकोत्तर और अति विशेषज्ञता आयुर्विज्ञान पाठ्यक्रमों के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना के लिए मार्गद□□ सिद्धांतों की विरचना, स□तकोत्तर और अति विशेषज्ञता स्तर पर आयुर्विज्ञान संस्थाओं को मान्यता अनुदत्त करना है ।

खंड 26 आयुर्विज्ञान निर्धारण और रेटिंग बोर्ड की शक्ति□ि □□ □त□ि □□ □□□□ □□□□□□ि□□ □□ जिसके अंतर्गत विहित मानकों की अनुपा□□□ □□ि□□ □□िज्ञ□ □स□ओं के निर्धारण और रेटिंग □□ि□□, □□ □युर्विज्ञान संस्था□□□ि स□पना के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने □□ि□□ □□ □□□ स□तकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए या स्थानों को बढ़ाने के लिए और इस प्रयोजन के लिए निरीक्षण □□□□ □□ि□□, चेतावनी जारी करने के लिए, विहित न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफलता के लिए आयुर्विज्ञान संस्थाओं पर धनीय शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया का अवधारण भी है □

खंड 27 शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों □□ उपबंध करने के लिए है जिसके अंतर्गत राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ सतत् सम्पर्क बनाए रखने हेतु तंत्र का विकास करने के लिए सभी अनुज्ञप्त चिकित्सा

व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखना और वृत्तिक आचरण को विनियमित □□□□ □□ □□

खंड 28 नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को प्रा□□ □□□□□□ स□□ो □□ □□□□हेतु अनुज्ञा प्रदान करने का उपबंध करने के लिए □□

खंड 29 नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना हेतु स्कीम के अनुमोदन या अननुमोदन के लिए मापदंड का उपबंध करने के लि□ □□

खंड 30 राज्य चिकित्सा परिषद □□□□□ □□□□□□ि□□ □न□ □□□□ □□□□□□ ि□□ □□

खंड 31 शिष्टाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखने का उपबंध करने के लिए है, जिसमें किसी अनुज्ञप्त चिकित्सा व□□□□□ □□ □□□, पता और उसकी सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं अंतर्विष्ट होंगी । प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद □□ □□□स□□ रखेगी । इन रजिस्टरों को इलैक्ट्रोनिक प्ररूप सहित ऐसे प्ररूपों में रखा जाएगा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं । □□□ि□□ स्वास्थ्य प्रदाताओं □ि□□ □□ □□□□राष्ट्री□ □□□स□□ □□□ □□□□□ □

खंड 32 आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों को सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के रूप में मध्यम स्तर पर चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 33 व□क्ति□□ को चिकित्सा व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने □□ राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामां□□ किए जाने के अधिकारों का उपबंध करने के लिए है । ऐसे किसी व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय निगम परीक्षा अर्हित करता है, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में ना□□□□□□ ि□□□ □□□□□ □

खंड 34 व्यवसाय के वर्जन का उपबंध करने के लिए है । ऐसे किसी व्यक्ति को, जो राज्य या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामावलीगत नहीं है, ि□ि□त□ व□□□□□ □□□□ या ऐसे किसी अन्य कृत्य का अनुपालन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी, जो केवल अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नामावलीगत होने के पश्चात् ही किए जाते हैं जैसे कि चिकित्सक या शल्य चिकित्सक का पद धार□ करना, चिकित्सा प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना या आयुर्विज्ञान से संबंधित किसी मामले में साक्ष्य देना । इनमें से ि□□□ □□ □ल□□□ □□ि□□, □□□ □□ि□ □□□रावास से जो एक वर्ष से कम की हो सकेगी या पांच लाख रुपए तक के जुमाने से या दोनों से □□□□□ □□□□ □ □□□□ कतिपय मामलों में राष्ट्रीय निगम परीक्षा अर्हित करने से अपवादों की अनुज्ञा दे सकेगा । विदेशी चिकित्सा व्यवसायियों को विहित की जाने वाली रीति में अस्था□□ रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी ।

खंड 35 भारत में विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अर्हताओं की मान्यता का उपबंध करने के लिए है । संस्थाएं स□□□-पूर्व आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड या स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड को आवेदन करेंगे, जो आवेदनों की समीक्षा करेगा और मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में

विनिश्चय करेगा । इस संबंध म, प्रथम अपील आयोग को और द्वितीय अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी ।

खंड 36 भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अहताओं की मान्यता का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 37 भारत म कानूनी या अन्य निकायों द्वारा, जो अनुसूची म सूचीबद्ध प्रवर्गों के अंतगत आते ह, अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अहताओं की मान्यता □□ □□□□ □□□□□□ि□□ □□ राष्ट्रीय बोड अहताओं का डिप्लोमा कतिपय मामलों म तत्स्थानी स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट अहताओं के □□□□ □□□ □

खंड 38 भारत म आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अहताओं को अनुदत्त मान्यता को वापस लेने □□ □□□□ □□□□□□ि□□ है । चिकित्सा निधारण और रेटिंग बोड आयोग को रिपोट करेगा, जो इस मामले के □□□ □ वि□िश्□□ □□□ □

खंड 39 भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त की जाने वाली आयुर्विज्ञान अहताओं की मान्यता को रद्द करने का उ□□□ □□□□□□ि□□ □□

खंड 40 कतिपय मामलों म आयुर्विज्ञान अहताओं की मान्यता के संबंध म विशेष उपबंधों का उपबंध करने के लिए है । यह भारत से बाहर की आयुर्विज्ञान संस्थाओं से संबंधित है ।

खंड 41 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों का उपबंध करने के लि□ □□

खंड 42 राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निधि का उपबंध करने के लिए है, जो भारत के लोकलेखा का भाग होगी । आयोग द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और सभी राशियां इसका भाग होंगी । इस निधि का उपयोजन आयोग के कृत्यों के निवहन म होने वाले सभी व्ययों के संदायों के लिए किया □□□□ □

खंड 43 संपरीक्षा और लेखाओं का उपबंध करने के लिए है । आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-□□□□□□□क्ष□ द्□□□ □ी □□□□ □

खंड 44 वि□□वि□ि □□ वि□□ि □□ केन्द्रीय □□□□ □□ प्रस्तुत वि□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ि□□ □□

खंड 45 केन्द्रीय □□□□ □ी, □ि□ □प्रश्नों □□ □□□□ □□ स्□□□□ □□ि □□ वि□□ □□□ी □□े□ □□ □□□□ □□□□□ि□□ □□

खंड 46 केन्द्रीय □□□□ □ी, □ज□ □□□□ि □□ वि□□ □□□ी □□े□ □□ □□□□ □□□□□ि□□ □□

खंड 47 □□□ द्□□□ प्रस्तुत □ी □□□□□ी □□□□ □□ □□□प्र□□□ □□ □□□□ □□□□□ि□□ □□

खंड 48 विश्वविद्यालयों □□ आयुर्विज्ञान □स्□□□□ी □ि□□□□□□ □□□□ □□□□□ि□□ □□ □□□□ □□□ि □□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□ □□

□□□□□□ प्रदर्शित □□□□□□□□ □□□□ द्वारा □□क्षा □□ □□□ ।

खंड 49 आयुर्विज्ञान □स□□□□□ □□□□□ □□□□क्रों □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□त्र, □□ □□ □□□□□□□ □□प्र□□ □□□□ □□□ आयुर्विज्ञान □स□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□प्र□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□

खंड 50 □□□□, □□□□□□□ □□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान □□ केन्द्रीय □□□□□ □□ □□□, □□□□ □□□□-□□□□ आयुर्विज्ञान प्र□□□□□ □□□□□ □□स□□ क्रिया □ अभिवृद्धि □□□□□□□□क□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□क□ □□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□ शैक्षणिक □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □ विनिश□□ □□□ □□ □□□□ ।

खंड 51 □□ज□ □□□□□ द्वारा ग्रा□□□ क्षेत्र □ प्र□□□□□ स्वास्थ्य □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□

खंड 52 □□□□ □□ स□□□□□ □□□ □□अध्यक्षों, सदस्यों □□ अधिकारियों □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ 21 □□अथान्तगत □□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□

खंड 53 □द□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□क्षा □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□

खंड 54 समिति □□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ रजिस्ट्रीकरण □□□ □□ □□ज□ आयुर्विज्ञान परिषद □□□□□ प्र□□□□ अधिकारी द्वारा लिखित □ □□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□□□ द्वारा □□□□□ □□□ज्ञा □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□

खंड 55 केन्द्रीय □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ अधिरोपित कृत्यों □□ कतव्यों □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□ केन्द्रीय □□□□□ द्वारा □□□ किन्हीं □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ व्यतिक्रम □□□□ □□□ केन्द्रीय □□□□□ □□ □□□□ □ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□क्र□□ □□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□ ।

खंड 56 □□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ केन्द्रीय □□□□□ □□ □□□□□□□ □□प्रयोजनों □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ द्वारा □□□□ □□□ □□□□ ।

खंड 57 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□ प्र□□□□ □□□श□□□□□□□□□ द्वारा □□ अधिनियम □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ ।

खंड 58 □□□□□ □□ विनियमों □□ □□द □□□□क्ष □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□

खंड 59 □□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □न्द्री□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□□□त्र □ प्र□□□□ □□□ द्वारा □□□□□□□ □□ □□□□, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों ।

खंड 60 ि□□□□ □□ व्यावृत्ति □□ □□□□ □□□□□□ि□□ □□ □□ □□ो□ □□,□□ □न्द्री□ □□□□□, ि□ि□□ □□□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 निरसित □□ □□□□□ □□ □□□□□□ ि□ि□त□□ परिषद् समाप्त हो जाएगी । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा कर्मचारी अपने-□□□□□□ि □□ ि□क□ □□ □गे और वे प्रतिकर के लिए हकदार होंगे ।

खंड 61--□क्र□□□□□ो□ □□□□ि □□ □□□□ □□□□□□ि□□ □□□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के निरसित हो जाने के पश्चात् भी उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम तब तक प्रवृत्त बने रहगे, जब तक कि राष्ट्रीय □□ि□ज्ञ□ परिषद् द्वारा नए नियमों और विनियमों की विरचना नहीं कर दी जाती □□

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 के उपखंड (1) म, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का, उसे प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग और कृत्यां का निवहन करने के लि□, □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ खंड 4 का उपखंड (1) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यां का नियुक्ति के विषय म उपबंध □□□□□□ि□ □□ □□ 6 □□□□□□ (4) म अध्यक्ष और पदेन सदस्यां से भिन्न सदस्यां के □□□ □□ □र्तों □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□ 8 □□□□□□ (1) □ □□□□ □□□ि□□ □ा नियुक्ति के लिए उपबंध है और उसके उपखंड (5) म आयोग के अधिकारियां और अन्य □□□□रियां का नियुक्ति के लिए उपबंध है । उक्त खंड के उपखंड (6) म आयोग के सचिव, अधिकारियां और अन्य कमचारियां के वेतन और भत्तां □□□□□ □□ि□□□ □ □□□□ □□

2. □□ 16 □□□□□□ (1) □ □□□ स्□□□□□ □□□र् □□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□ लि□ □□□□ प्र□□□ □□ □□ पूणकालिक सदस्यां और दो अंशकालिक सदस्यां से मिलकर □□गे । खंड 18 म स्वशासी बोर्डा के प्रधान और सदस्यां का नियुक्ति के लिए उपबंध □□ और खंड 19 के उपखंड (2) म स्वाशासी बोड के प्रधान और सदस्यां □□□□□ □□ □र्तों □□ लि□ □□□□ □□

3. □□ 41 म इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा विनियोग के पश्चात् आयोग को □□□अनुदानां के संदाय के लिए उपबंध □□जैसा केन्द्रीय सरकार ठाक समझे ।

4. □□ 42 के उपखंड (1) म राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान निधि नामक एक निधि □□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□रू□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ और उसके संघटक निकायां द्वारा प्राप्त सभी सरकारा अनुदान, फास और प्रभार तथा आयोग द्वारा ऐसे अन्य स्रोतां से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए □□□□प्रा□□ सभी धनराशियां जमा का जाएंगी और उसका उपयोजन वेतन और भत्तां के □□□□ □□□ लि□□□ □□□□□□ा □□ क्रियान्वित करने के लिए उपगत व्ययां के लिए किया जाएगा ।

5. □□ 60 के उपखंड (3) म यह उपबंधित है कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का □□□□□ □□ □ि□□द् के अध्यक्ष, सदस्यां, अधिकारियां तथा अन्य कमचारा के रूप म नियुक्त □□□□□ □□□□-अपना पद रिक्त □□ □□□□□ □□□ □□□क्ष □□ □□□□ समय पूव पय□□□□ के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तां के प्रतिकर का दावा करने के □□□□□ □ि□□ और ऐसे अधिकारा और कम□□□, □□□□ □□□□□□ आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा नियमित या □ि□□□□क आधार पर नियुक्त किया गया है, ऐसे प्रतिकर के हकदार हांगे, □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □त्ते□ि□जो विहित किए जाएं □

6. ऐसा व्यय मुख्यरूप से विद्यमान भारतीय □□ि□□□ परिषद् □□□□□□ □□ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा सृजित निधियां से पूरा किया जाएगा । आयोग और उसके □□□□ लि□□□ा को सरकार द्वारा दिए जाने वाले बजट समथन का प्राक्कलन परिषद् को दिए गए विद्यमान बजट समथन के स्□□ से अधिक नहां है । इसके अतिरिक्त, □ि□ □□□□ □□ला व्यय आयोग का बैठकां पर निभर होगा, □□लिए इस प्रक्रम पर आवर्ता या अनावर्ता व्यय का पूवानुमान नहां लगाया जा सकता है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे म ज्ञापन

विधेयक के खंड 15 का उपखंड (3) कद्रीय सरकार को इस अधिनियम के प्रारंभ □ी □□ी□ □□□□ □□ □□□□□, □□□ □□ी□ □,□जो अधिसूचना दवारा नियत की जाए, □ष्ट्री□ ि□□□ परीक्षा को आरंभ करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 16 का उपखंड (1) कद्रीय सरकार को अधिसूचना दवारा इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डो को सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के ि□□ □□□□ □□ समग्र पयवेक्षणाधीन स्वशासी बोड गठित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक के खंड 37 का उपखंड (3) कद्रीय सरकार को आयोग की सिफारिश पर और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान म रखते हुए भारत म किसी कानूनी या अन्य निकाय दवारा प्रदत्त चिकित्सा अहताओं के किन्हीं प्रवर्गो को अनुसूची म, यथास्थिति, जोड़ने या उससे लोप करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 40 आयोग को यह निदेश करने के लिए आदेश करने हेतु सशक्त करता है कि भारत से बाहर किसी देश की चिकित्सा संस्था दवारा अनुदत्त चिकित्सा अहता, ऐसी तारीख के पश्चात् जो उस अधिसूचना म विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अहता होगी ।

विधेयक का खंड 56 केन्द्रीय सरकार को, अन्य बातों के साथ-□□□, (□) आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद म राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्दोशितियों म से चक्रानुक्रम के आधार पर आयोग के छह सदस्यों की नियुक्ति की रीति ; (□) □□□□ के पांच सदस्यों के निवाचन की रीति ; (ग) केन्द्रीय सरकार दवारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट करने की रीति ; (घ) अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और □त्ते□□□□ उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शत ; (□) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों दवारा आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करने का प्ररुप और रीति; (□) □□□□ □□□ि□□ दवारा धारण की जाने वाली अहता और अनुभव ; (छ) आयोग के सचिव, अधिकारियों □□ □न्□ □□□□ि□□ी □□ □□य वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और □□ ; (ज) आयोग की अन्य शक्तियां और कतव्य ; (झ) किसी सदस्य दवारा धारित की जाने वाली आयुर्विज्ञान अहता और अनुभव ; (ञ) अंशकालिक सदस्यों के चयन की रीति ; (□) ि□□□ स□शासी बोड के प्रधान और सदस्यों □□ □□□ □□□ □□ □त्ते□□□□ उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शत ; (□) □न्□ □□□□ ; (□) ि□ि□त्□□ वृत्तिकों की सूची प्रस्तुत करने की रीति ; (ढ) वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप ; (□) □□ □□□, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसम आयोग दवारा रिपोट और विवरण प्रस्तुत किया जाएगा और किसी ऐसे विषय के संबंध म विशिष्टियां, □□□□ी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे ; (त) वार्षिक रिपोट तैयार करने का प्ररूप और समय ; (□) □□□ □न्□ ि□□□, जिसके संबंध म नियमों दवारा उपबंध किए जा सकगे, □□□□□ म नियम बनाने के लि□ □□क□ □□□□ □□

विधेयक का खंड 57 आयोग को पूव प्रकाशन के पश्चात् और राजपत्र म अधिसूचना द्वारा, अन्य बातों के साथ-□□□ (क) आयोग के सचिव द्वारा निवहन किए □□□□□□□□□ताँ ; (□) □□ प्रक्रि□, जिसके अनुसार विशेषज्ञ और वृत्तिक नियुक्त □□ □□ □□□□और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को संख्या ; (ग) आयोग की बैठकों म अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतगत उसकी बैठकों को गणपूति भी है ; (□) □□□ क□□□□ □□ स□□□□□, जो आयुविज्ञान शिक्षा म बनाए रखे जाएंगे ; (□) आयुविज्ञान संस्थाओं, □□विज्ञान अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित □□□□□□ □□□ ; (□) □□□□, स□शासी बोर्डों और राज्य आयुविज्ञान परिषदों के कायकरण को रीति ; (छ) आयुविज्ञान सलाहकार परिषद् की बैठकों म अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतगत उसकी बैठकों को गणपूति भी है ; (□) □न□ □□□□□□□□□ □□ □□ □□□, जिसम राष्ट्रीय पात्रता-□□-प्रवेश परीक्षा का संचालन किया □□□□□ ; (□) स□□तकपूव आयुविज्ञान शिक्षा म प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा समान्य काउंसिलिंग करने को रीति ; (ञ) राष्ट्रीय निगम परीक्षा □□ □□□□□ □□□□□□ लिए अभिहित प्राधिकारी और उसके संचालन को रीति ; (ट) वह रीति, जिसम विदेशी चिकित्सा अहता वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रीय निगम परीक्षा उत्तीण करेगा ; (ठ) वह रीति, जिसम राष्ट्रीय निगम परीक्षा के आधार पर स्नातकोत्तर वृहद विशेषज्ञता आयुविज्ञान शिक्षा म प्रवेश दिया जाएगा; (ड) वह रीति, जिसम स्नातकोत्तर वृहद विशेषज्ञता आयुविज्ञान शिक्षा म प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकारी द्वारा □□□न□ काउंसलिंग को □□□□□ ; (ढ) वह संख्या और वह रीति जिसम स्वशासी बोर्डों को आयोग द्वारा □□□ज्ञ, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कमचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे ; (□) स□□□□ स्तर पर पाठ्यक्रम ; (त) प्राथमिक चिकित्सा, सामुदायिक चिकित्सा और कुटुंब चिकित्सा के लिए पाठ्यक्रम ; (□) आयुविज्ञान संस्थाओं द्वारा स्नातक पाठ्यक्रमों को प्रदान करने को रीति ; (□) □□□ज्ञ□ संस्थाओं म स्नातकों के लिए पाठयक्रम और परीक्षा संचालित करने के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक ; (□) आयुविज्ञान □स□□□□ स□□□□ □□ स्तर पर शिक्षा की अवसंरचना, संकाय और क्वालिटी के लिए □□□□ □□ □□□□□ ; (न) स्नातकोत्तर स्तर और विशिष्ट विशेषज्ञ□ स□□ □□ आयुविज्ञान शिक्षा के मानक ; (प) स्नातकोत्तर स्तर और विशिष्ट विशेषज्ञता स्तर पर □□□□क्र□ ; (□) आयुविज्ञान संस्थाओं द्वारा स्नातकोत्तर और विशिष्ट विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों को प्रदान करने को रीति ; (□) आयुविज्ञान संस्थाओं म स्नातकोत्तर और □शिष्ट विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए न्यूनतम अहताएं और मानक ; (□) स्नातकोत्तर और विशिष्ट विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों के संचालन वाली आयुविज्ञान □स□□□□ □ □□□□□□□ □□ संकाय शिक्षा को क्वालिटी के मानक और मानदंड ; (□) आयुविज्ञान □स□□□□□ □□□रण और रेटिंग को प्रक्रिया ; (□) □□□ □स□□□□□ निधारण और रेटिंग के लिए आयुविज्ञान संस्थाओं के निरीक्षण को रीति ; (□□) आयुविज्ञान संस्थाओं के निधारण और रेटिंग के संचालन के लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों के संचालन को रीति और पेनलीकरण के लिए रीति ; (□□) आयुविज्ञान संस्थाओं के निधारण और रेटिंग को वेबसाइट पर या पब्लिक डोमेन म उपलब्ध कराने □□ □□□ ; (□□) □□□ आयुविज्ञान संस्था के न्यूनतम आवश्यक मानकों को अनुरक्षित

करने म असफल रहने पर उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय ; (□□) □ति□ □□□ को विनियमित करने और चिकित्सा नीति के संवधन की रीति ; (□□) □□ आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां और संलग्न की जाने वाली फीस तथा स्कीम प्रस्तुत करने की रीति ; (□□) स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को □□□□ □□□□□ी □ीि□ ; (यछ) वे क्षेत्र जिनम मानकों को शिथिल किया जा सकेगा ; (यज) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या वृत्तिक के वृत्तिक अथवा नीतिगत कदाचार के लिए राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा अनुशासनात्मक कारवाई करने की रीति □□ ि□ष□□□ तथा चिकित्सा रजिस्ट्रीकरण बोड द्वारा परिवाद और शिकायत प्राप्त करने की प्रक्रिया ; (यझ) करना या करने को लोप करना जो वृत्तिक या नीतिगत कदाचार है ; (यत्र) राष्ट्रीय रजिस्टर म अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां ; (□□) □ष्ट्री□ □□स्□□ □□ प्ररू□, जिसके अंतगत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और उसके अनुरक्षण की रीति ; (□□) □□ □ीि□, जिसम राष्ट्रीय रजिस्टर म किसी नाम या अहता को जोड़ा या □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ ; (□□) वह रीति, □□□□ □□ □□ □□ि□, जिसके लिए किसी विदेशी नागरिक के लिए अस्थाई रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात ि□□ □□ □□□□ ; (□□) ि□ि□त्□ म व्यवसाय करने के लिए सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त □□□□□ ि□□ □□□□ ; (यण) विस्तार परिस्थितियां और अवधि जिसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं को सीमित अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाएगी ; (□□) □□□ म किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा अनुदत्त आयुर्विज्ञान अहताओं को □□□द□ □□ □□का अनुरक्षण करने की रीति ; (□□) □न्□□ प्र□□ □□□□□□□ आवेदन की परीक्षा करने की रीति ; (यद) मान्यता प्रदान करने के लिए आयोग को □□□ प्रस्□ □□□□□ी रीति ; (यध) बोड द्वारा अनुरक्षित सूची म आयुर्विज्ञान अहता को सम्मिलित करने की रीति ; (यन) ऐसी आयुर्विज्ञान अहताओं को सूचीबद्ध करने और उनके अनुरक्षण की रीति, □□न्□ इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पहले □न्□□ □□□त्□ की गई थी, के संबंध म विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

□□ि□□□, जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय ह और उनके लिए विधेयक म ही उपबंध करना व्यवहाय नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।